

Dange, Shri S.A.
 * Das, Shri N. T.
 Fernandes, Shri George
 Ghosh, Shri Ganesh
 Gopalan, Shrimati Suseela
 Goyal, Shri Sri Chand
 Guha, Shri Samar
 Gupta, Shri Indrajit
 Haridar, Shri K.
 Jai Singh, Shri
 Janardhanan, Shri C.
 Jha, Shri Bhogendra
 Jha, Shri Shiva Chandra
 Joshi, Shri Jagannath Rao
 Joshi, Shri S. M.
 Kachwai, Shri Hukam Chand
 Kapoor, Shri Lakhan Lal

Krishna, Shri S. M.
 Kundu, Shri S.
 Lakkappa, Shri K.
 Limaye, Shri Madhu
 *Majhi, Shri Mahendra
 Mangalathumadam, Shri
 Menon, Shri Vishwanatha
 Misra, Shri Janeshwar
 Modak, Shri B. K.
 Mohan Swarup, Shri
 Molahu Prasad, Shri
 Mukerjee, Shri H. N.
 Mulla, Shri A. N.
 Nair, Shri Vasudevan
 Nayanar, Shri E. K.
 Nayar, Shrimati Shakuntala
 Pandey, Shri Sarjoo
 Paswan, Shri Kedar

Patel, Shri J. H.
 Ramani, Shri K.
 Ray, Shri Rabi
 Reddy, Shri Eswara
 Sambhali, Shri Ishaq
 Satya Narain Singh, Shri
 Sen, Dr. Ranen
 Shah, Shri T. P.
 Sharma, Shri Beni Shanker
 Sharma, Shri Narain Swarup
 Sharma, Shri Yajna Datt
 Sharma, Shri Yogendra
 Shastri, Shri Ramavatar
 Shastri, Shri Sheopujan
 Suraj Bhan, Shri
 Umanath, Shri
 Vajpayee, Shri Atal Bihari
 Yadav, Shri Ram Sewak

MR. CHAIRMAN: The result of the division is: Ayes: 220; Noes: 62.

in any Ministry, it finds it an excuse and promulgates an Ordinance.

The motion was adopted.

SHRI RAGHU RAMAIAH: I introduce the Bill.

15.13 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE 1969; AND INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : I beg to move the following:

"This House disapproves of the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 3 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 4th June, 1969".

I deprecate the tendency of this Government to govern by ordinances. This Government has a penchant for issuing ordinances. Whenever it wants to do a thing

Actually, during this interregnum, a number of ordinances have been promulgated, most of which could have been avoided. It would almost appear that we are living in a regime of ordinances, and that consequently this august House is intended only to rubber-stamp the decisions of this Government. The latest Ordinance promulgated only 40 hours before Parliament was scheduled to meet nationalising banks is an affront to the dignity and authority of this House. There was no emergency and no immediate necessity. This ordinance nationalising banks would have deleterious effects upon economic growth. International opinion has also adversely reacted to it.

I would now come to the Ordinance in question. I would draw attention to article 123 of the Constitution.

"If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take

* Wrongly voted for 'NOES'

† The following Members also recorded their votes:

AYES: Sarvashri C. C. Desai; Meetha Lal Meena; N. T. Das and Mahendra Majhi.

NOES: Sarvashri Mohammed Ismail, P. C. Adichan, M. H. Gowda, and S. S. Kothari.

immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

In my opinion, there were no such circumstances as necessitated the issuing this ordinance enhancing penalties in respect of ticketless travel. It could have been brought before the House in the normal course, and since the House was to be convened, there was no reason why this ordinance should have been issued. I would like to emphasize the basic point that since this Government believes in governing by ordinances and not in the healthy democratic conventions regarding the issue of ordinances, the hon. Members must give serious thought to circumscribing and limiting the powers of this Government to issue ordinances. That is the serious issue, and in order to do that, I would suggest either article 123 should be amended, or it should be provided that a committee of members of Parliament should be constituted to advise the President, as to whether they are justified; and this committee should be consulted by the President in every case before issuing ordinances.

Railways are a public monopoly. Now the cream of the banking industry would also pass into the hands of bureaucrats. Is this bureaucratisation going to solve the country's problems? The phenomenal inefficiency and losses in the public sector has been growing. Even railways have been incurring losses. There is mismanagement, inefficiency and corruption and these are surely infectious diseases. I doubt if nationalised banks can be insulated from the legacy of the existing public sector. Deterioration would fast set in and that would be to the detriment of the economy.

MR. CHAIRMAN : You are talking about banks. This is about railways.

SHRI S. S. KOTHARI : Railways are a public monopoly and one has to deal with the performance of the public sector while dealing with this ordinance. That is what I was referring to. As you know, the performance of the public sector has been dismal in the past, not only of railways but even other public sector undertakings. However, I will concentrate on the railways.

Increase in penalties for ticketless travel is an over simplification. There is no doubt that ticketless travel has to be checked. There is tremendous loss of revenue. The Ministry estimates it to be between Rs. 10 and 15 crores. I wonder how they have got these estimates. But what is happening today is that implementation even of the existing provisions is so poor that the penalties for ticketless travel only lead to corruption. If you see the conditions at any station, particularly when the train is about to come, there is a long queue of people and many of them are not even able to obtain tickets; unless they want to leave the train, they have somehow to board it. These bona fide passengers who would like to pay their fares correctly do not have any avenue for paying them. They try to contact the Guard, and usually the Guard is busy with other matters. He cannot be contacted and during that period the train leaves. Therefore, if they go to the train, there is nobody to whom they can say that they would like to have the requisite ticket. Even if they want to pay, they are unable to do so.

When the ticket collector comes, even if these passengers ask him to issue a ticket, he says they have to pay so much penalty. After threatening them with the penalties, the proposal is put forward saying that no ticket is necessary if they pay a certain amount of money to the ticket collectors. If the penalty is increased as proposed, the consequence would be that the ticket collector would be able to blackmail the passengers even more. These are the facts of life. Let the Minister himself enquire into this. If I am wrong, I shall stand corrected. But these are facts which cannot be ignored. The higher the penalties, the greater is the demand by ticket collector from the passengers and they succumb to it.

In view of this, I suggest that efforts must be made to provide the requisite machinery for issuing tickets or certificates under section 68(2) of the Railways Act. It should be made easy for the passengers to obtain a certificate showing that they intended to pay for the tickets. I do not hold any brief for persons with mala fide intentions who do not want to pay the Railways their legitimate dues. But bona fide passengers must not be harassed. A colleague was

[Shri S.S. Kothari]

saying that if somebody approached the guard of a train for a certificate, he should produce a platform ticket; otherwise the certificate would not be issued. If a person could obtain a platform ticket, he could as well have obtained a proper ticket. It is an absurd provision. Any ticket collector in uniform should be authorised to issue a certificate when a bona fide passenger says that he wants to go from this place to his destination. Otherwise, genuine passengers will be harassed. This would also plug the loophole which enables money to pass, not to the railways but to the pockets of its employees.

What is the use of enhancing penalties without implementing the existing laws? The existing laws are ineffective. That is why I say that the Ordinance is an exercise in futility and a calculated act of self-deception. This must be rectified.

Overcrowding in trains results in increased ticketless travel. There are difficulties with regard to reservations. Various commissions have suggested some methods. Certain forms have to be filled in for reservation. In spite of these forms the element of corruption with regard to reservations has not gone down. It is common knowledge that sometimes money has to be paid for securing them. The only solution that one can think of is that the accommodation available in trains should be increased by at least fifty per cent. The number of trains must be increased and also the number of coaches in the trains. Incidentally, this would provide job opportunities to the engineering industry, if orders for coach building are placed on that industry.

There appears to be shortage of staff both with regard to the checking staff and also conductors attached to the trains. If ticketless travel is due to shortage of staff, it must be looked into.

With regard to the Railway Protection Force, RPF, I have to say that it is incompetent and ineffective. Even at important stations, we do not find them and even if there are a few, they are inactive. We are told that many persons travel deliberately without tickets from Delhi to Ghaziabad; they also enter any compartment they like and are a source of harassment to bona fide passengers.

The TTEs do not dare to get hold of the culprits or miscreants who create such a nuisance. If the Railway Police Force is inadequate to tackle this situation, it should be intensified at certain places rather than posting them here and there.

At important stations there should be squads of Railway Protection Force which should be utilised for bringing to book miscreants who travel without tickets.

It is not only a problem on the Delhi-Ghaziabad section, but I am told that it is a problem in some sections of Bihar, West Bengal and other States also.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI S. S. KOTHARI : Sir, I must have half an hour at least.

MR. CHAIRMAN : Three hours have been allotted.

SHRI S. S. KOTHARI : I must have ample time. I am speaking on a statutory resolution. Kindly consult the Secretary as to what the timing is. Three hours have been allotted and I have to speak on my statutory resolution.

MR. CHAIRMAN : You may have 15 minutes. Three minutes more.

SHRI S. S. KOTHARI : I must have time to do justice to the job. I submit that the Railway Protection Force must be activated. Then only probably there would be some effect of the ordinance which seeks to increase the penalty for ticketless travelling.

Besides, theft of railway property takes place: bulbs, taps and various other accessories are replaced and then within a few days they are stolen away by some people. The Railway Police or the Railway Protection Force do not do anything practically. I would urge the Minister to give serious attention to this aspect and see that the police force is activated as I said earlier. I am reiterating it because that is a very important point. Otherwise, there is no use expecting any results from this measure.

Besides railway losses, theft, etc., even murders take place. As you are aware, there was the murder of Pandit Din Dayal Upadhyaya but the police has not yet been able to do anything in the matter. What were the railway police or the Railway Protection Force doing at that time? I do not know. Why I am referring to this is because this kind of incident affect us, and we are deeply concerned about it. But this is being done not only in the Mughal Sarai section; such things take place in various other sections also. Therefore, the police force has to be improved.

With regard to railway accidents, we have had so much of discussion earlier in the morning. I hope the Minister would not mind it if I say that with the rapidity with which space technology is progressing in the USA, and operational efficiency of the railways is deteriorating in this country, a stage may come when it would be safer to travel through space to the moon than to travel Indian railways, I hope that stage will not come.

In every case, it is said that the accidents are due to human failure or mechanical failure. It is bound to be something of course. But if the operational efficiency goes on deteriorating, what else can we expect except such railway accidents? I request the Minister to give some serious attention to this aspect of the matter.

The Minister has himself got God's name: "Ram" Subhag Singh. So, let us hope that he will be able to reduce the number of accidents on the railways.

One more important point is this. With that I shall conclude my speech. Despite the monopoly of the railways, losses are incurred year after year. We find that the fares and freight are continuously increasing. May I submit that cost accounting is not being done properly or efficiently in the railways? He must analyse and find out which of the sections are losing and which are doing well. Only when efficient cost accounting is done, he can ascertain where a section is losing money. Then, wherever they are losing money, they can take effective steps to improve operational efficiency

and tone up administration and see that these loopholes are plugged.

I would also emphasize that the amenities for third-class passengers should be increased. If there are better amenities, I feel that would also assist in checking the ticketless travelling. The Capital Express and the Taj Express are just show-pieces; and they are beyond the reach of the poor and the middle classes. It is said that our fares are low by international comparison, but then what about our per capita income? The per capita income is so low that the fares, of necessity, are low, and they have to be within the reach of the poor people in this country.

What about the amenities? We find that half the lights are often missing, and the fans do not work or they are so sparse that they do not cover even a fringe of the passengers. As regards water coolers, where they are installed, many of them do not function at all. Water often does not flow through the taps. This happens often in the third class compartments. Of course, the hon. Minister does not have to travel third class. He does not know how the third class passengers suffer, as we do.

My last point is this. The Railway Board must improve itself. That is of very great importance for this country, if the efficiency of the railways has got to be improved. There has been severe criticism of the Railway Board; they are good people. I would not like to criticise them. But let them do something to improve the railways; let them do some heart-searching and let them improve matters and make the railway more efficient and see that the railways which ensure are the property of the nation as they advertise boldly in the compartments; they must see that the railways are made to run efficiently and operate efficiently and that the Railway Board administers the railways property.

THE MINISTER OF RAILWAYS
(DR. RAM SUBHAG SINGH): Sir, I big to move :

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, be taken into consideration."

[Shri Ram Subhag Singh]

Sir, this is a self-explanatory Bill. On the basis of this Bill the Ordinance was issued speaking on which Shri Kothari has pointed out that Government has developed this habit of promulgating ordinances without caring for people's convenience. He also just now mentioned about travel in third class and took the entire credit as if he and he alone travels in third class and nobody else. He said that others, more particularly the Ministers, do not know anything about the difficulties that are obtaining in third class compartments. But I may tell him that it is with a view to helping the *bona fide* passengers that this Ordinance was issued, and if he really knows about the difficulty that is created for *bona fide* passengers he would not object to the issue of this Ordinance.

This Ordinance was promulgated on 10th June and the report that we got on 20th June says that the number of passengers found travelling without tickets or improper tickets came down from 2,32,649 to 96,292, which is more than half, and the reduction has been to the tune of about 59 per cent. The simple promulgation of this Ordinance has got this effect.

He also said that anybody in railway uniform must be authorised to issue certificates, in connection with higher excess charge. I accept that this is a good suggestion. But what will happen to the booking window? Anybody who wants to be a *bona fide* passenger, I would say, should go to the booking window and buy a ticket. If there is any difficulty I am prepared to issue necessary instructions. Instructions have already been issued that wherever needed the number of booking windows must be increased. Higher charges recovered from such passengers increased from Rs. 1,94,074 to Rs. 3,96,852. This shows an increase of 105 per cent. Lower excess charge increased from Rs. 1,529 to Rs. 8,662 representing an increase of 467 per cent. Sale of tickets at the booking windows of Indian Railways recorded an increase of 9.4 per cent as against 4.18 per cent during the period ending 10th June 1969. This was precisely the object of promulgating the Ordinance.

This Bill intends to amend sections 112

and 113 of the Indian Railways Act by making the penalties for ticketless travel stiffer than they were earlier and also by compelling the passengers to buy tickets at the booking windows. Thereby we intend to stop leakage of railway revenues. This is not intended to increase the earnings by means of higher penalties. It is not our intention.

An equally important object of the proposed amendment is to eliminate the severe inconvenience which the ticketless travellers cause to the *bona fide* travellers by over-crowding trains.

Shri Kothari referred to the Railway Protection Force also. Perhaps he is not familiar with the functions of the RPF. We have every sympathy for the passengers who travel in the railways and we want to ensure that nobody is allowed to be murdered while travelling in a train. He made a special reference to the death of Pandit Deen Dayal Upadhyay and demand an inquiry. An inquiry was in fact made about his death and we all know the outcome of the case. RPF cannot do anything in such cases because its function is only to watch and protect railway property. Only the GRP can ensure the safety of passengers.

Then he said that promulgating an Ordinance has become a common feature and, therefore, it is an exercise in futility. From the figures which I have quoted it will be seen how effective this Ordinance has been so far as the comfort of those travellers who purchase tickets is concerned. The penalty which we have received is very nominal; so also the cost of checking.

In order to remove over-crowding we are ensuring that wherever there is over-crowding more booking windows are provided. The number of trains and the coaches in each train are being increased. In the last Time Table we increased the number of trains on the Delhi-Ghaziabad line. From the third week of April we have introduced an additional train on the New Delhi-Faridabad-Palwal line and from the first of July two pairs of trains are being hauled by diesel engines. The number of coaches is also being increased. In this way we are ensuring more comfort and safety to the *bona fide*

passengers who purchase tickets. It is with this object in view that we are seeking to amend sections 112 and 113 of the Indian Railways Act.

SHRI S. S. KOTHARI: He is a good Minister but his legacy is bad.

MR. CHAIRMAN: Both the Resolution and the motion are before the House. They will be discussed together.

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): Mr. Chairman, we always welcome a measure which will contribute to the better working of the railways. I do appreciate the anxiety of the Minister of Railways to eradicate the long-standing and deep-rooted evil of ticketless travel. He is seeking to take immediate measures to uproot this evil through an Ordinance and also by throwing his mighty weight in favour of this Ordinance.

Promulgating an Ordinance has become the order of the day and for better or worse they take refuge by passing an Ordinance. I agree with the previous speaker, Shri Kothari, when he says that though there is no serious objection to the passing of the Bill, there was no necessity to promulgate this measure through an Ordinance. Anyhow, the Minister has said that after the passing of this Ordinance ticketless travel has gone down considerably and that he has been able to stop a good deal of loss of revenue to the railways.

I hope, this will be kept up and when the time for the presentation of the Railway Budget comes he will be in a position to say that the loss, which he has depicted now as being about Rs. 13 crores or Rs. 15 crores, has been completely wiped off.

I have got experience of these railways. I think, ever since independence ministers have come and ministers have gone—the previous railway ministers assured this House that they would take all possible steps to see that ticketless travelling was obliterated or at least checked—still, I am afraid, this evil has been growing both in intensity and in the magnitude and I do not know whether the measures, which the present Railway Minister has taken by enhancing the quantum of fine

or of the amount from 50 paise to Rs. 10, will have any permanent and desired effect.

Sir, a good deal depends, not only for the eradication of this evil but also for increasing the efficiency in the working of railway department upon the railway staff itself. I am not blaming the entire railway staff. I know our railway staff is twice as much as it is in other countries for a corresponding length of lines. If only there is increase in the efficiency of our railway staff and if only our railway staff is more honest, I think, this ticketless travelling can be reduced to a considerable extent.

श्री जार्ज फर्नेन्डस (बम्बई दक्षिण):
 आप गलत आरोप लगा रहे हैं। यह गलत है।

SHRI J. MOHAMED IMAM: I do not say that all are dishonest. Anyhow, they must be more efficient. I can give one example to my hon. friend, Shri George Fernandes. I can understand his partiality and his feeling towards the railway workers with whose help he has been elected to this House perhaps. When I was once travelling from Madras to Delhi in a first class compartment, between two important stations when I came out of my compartment I found the entire corridor being occupied by nearly 25 or 30 persons and though three or four stations passed I could see nobody to check them. Nobody checked them and it was very difficult for us to go from our compartment to the next compartment or to the bathroom. After four or five stations the entire crowd walked down and went away. That was long ago.

I may tell him another thing. This ticketless travel is very much rampant on short lines, specially on loop lines or railway lines that end after a short distance. There is absolutely no supervision there. I have got a number of such loop lines in the State of Mysore. They run for a distance of 40 miles or so and end after that. On these lines there is absolutely no check and passengers enter the compartment and go out at will. I think, during the last Budget session the Railway Minister complained that these loop lines were working at a loss and he was thinking of dismantling them.

[Shri J. Mohamed]

I told him that the remedy lay out in dismantling them but in extending and connecting them to a main line or in ensuring better supervision.

We have got a huge staff. We have got a number of travelling ticket inspectors and checking squads who pay surprise visits. Had this in any way improved the situation till you promulgated the Ordinance? I know, before independence when the railways were owned by the companies and some of the railway were owned by the States, ticketless travel, I can say with authority, was much less because there was better supervision and better control.

Now, after it became the public sector in which we have invested more than Rs. 3000 crores and from which the country expects a decent return for the money invested, the Railways are behaving exactly like any other public sector because in a public sector concern, everybody is a master or nobody is a master.

I am not concerned about this loss which comes to Rs. 10 crores to Rs. 15 crores. You must think of other losses that the Railways have been incurring. What about the loss of human lives? How can you compute the loss of more than hundred human lives in two unfortunate tragedies that occurred within a fortnight? These losses of human lives are due to human failure or due to sabotage by anti-national or anti-social people who want to impose their own ideologies in this country.

श्री जार्ज फरनेडीज : यह गलत है। गलत बात क्यों बोलते हैं ?

SHRI J. MOHAMED IMAM : I said anti-national and anti-social people who want to create trouble in the country.

श्री जार्ज फरनेडीज : वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस ने कहा है कि यह गलत है।

MR. CHAIRMAN : When you get your chance, you can speak. Why do you interrupt him?

SHRI J. MOHAMED IMAM : What

a harrowing tragedy! Three bogies on a bridge got derailed on account of sabotage and fell into the river and about hundred persons lost their lives.

Again, within 10 days or a fortnight, there was a case of human failure, one goods train dashing into another passenger train resulting in the loss of many lives. When there is such a human failure, when there are hundreds of losses of human lives, how can I compliment the Railways who have been responsible for the loss of human lives? Why don't you promulgate an Ordinance to the effect that anyone who neglects his duty and if on account of human failure and negligence a major accident is caused in which there is loss of human lives, he must be hanged. I will approve it.

AN HON. MEMBER : You ask him to resign.

SHRI J. MOHAMED IMAM : I will not ask him to resign. Those who are responsible for the accident should resign and go out of the country.

SHRI GEORGE FERNANDES : Hang the Railway Board.

SHRI J. MOHAMED IMAM : I am not concerned with Rs. 15 crores loss. I can earn it in another way. What about the loss of two hundred human lives to the nation? What about the loss to their families? It is such things that must be corrected.

Still let us give credit wherever it is due. But such persistent, frequent, accident that have been occurring everywhere must be checked. I am sure the hon. Railway Minister with all his weight and might will take speedy and effective steps to check these railway accidents. You must check them. Otherwise where is the safety? Now I always feel nervous to travel by train.

I must bring to your kind notice that you must see that the travelling ticket inspectors, the railway special squad, carry out better work. I understand that these travelling ticket inspectors are not treated in the same way as the other running staff; they are not given their daily allowance and they

are not given the same facilities which the other railway running staff have been enjoying. I think you must look into their grievances and at the same time make them carry out better work.

I need not dwell on the other aspects concerning the railway administration. Some of them have been very well put forward by my friend, Shri Kothari. One thing that I must submit is that overcrowding in trains must be avoided. It is a common factor and a common feature on all lines, especially in Third Class compartments. The Third Class passengers have to travel for days together without sleep and without any rest. It is true that you have provided some sleeping coaches, but these can accommodate only a very few; the others have to go without sleeping accommodation. I know that, in some cases, the Third Class passengers keep standing in the compartment for hundreds of miles for want of accommodation. You have to provide more accommodation.

I perfectly agree with Shri Kothari in what he said about Third Class passengers; specially in big cities like Delhi, it is very difficult for an ordinary passenger to obtain a ticket at the counter. So many things are said about it. I have no personal knowledge. If a person can make an extra financial effort, it is easy for him to get the ticket. It is true that many middle class and decent people have to struggle very hard before they can obtain a railway ticket to travel in time. I think, this is a matter which the railway Minister should investigate. I would even suggest the Railway Minister going *in cognito*. He can go and stand in some corner and find out for himself how the railway staff are behaving and what are the facilities to be given. He can also travel in the Third Class compartment and find out for himself what are the difficulties. This is a suggestion which is seriously made to the Railway Minister. He must travel *in cognito* and study for himself and acquaint himself personally with all the difficulties that are being experienced by the low class passengers.

With these words, I support the Bill and I hope that it will have the desired effect though enhancement to Rs. 10 may not deter all the offenders.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, जो बिल मंत्री महोदय ने पेश किया है, मैं उसकी हिमायत और जो रेजोल्यूशन मेरे दोस्त, कोठारी साहब ने पेश किया है, उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

हमारे मुल्क में बगैर टिकट के सफ़र करना एक लानत बन गई है। यह बड़ी खुशी की बात है कि देहात के एक बज़ीर ने, एक किसान ने, एक आर्डिनेंस की शक्ल में उसके खिलाफ़ कदम उठाने की ज़रूरत महसूस की और अब वह इस बिल को सदन के सामने लाये हैं। इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। जो लोग नुमायशी हमदर्दी जाहिर करते हैं, अगर वे खुद हवाई जहाज़ और फ़र्स्ट क्लास के सफ़र को छोड़कर थर्ड क्लास में सफ़र करें, तो न तो वे टिकटलैस ट्रेवल की हिमायत करेंगे और न ही लाल भंडा लेकर एम्पलाईज की तारीफ़ और हिमायत करेंगे।

मैं मानता हूँ कि इंसान ईमानदार भी हैं और बेईमान भी। इसी तरह एम्पलाईज में ईमानदार लोग भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमाम में हम सब वाबन गज के हैं। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह के ग़लत काम करने के सिलसिले में एक चेन सी बन गई है। जिस तरह गवर्नमेंट के आबपाशी के महकमे में पटवारी से लेकर चीफ़ इंजीनियर तक हिस्से बंट गये हैं, पी० डब्ल्यू० डी० में ओवरसियर से लेकर ऊपर के अफ़सरों तक ब्राकायदा परसेंटेज मुकर्रर हो गई है, ठेकेदारों से हिस्से मिलते हैं, उसी तरह मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन मैं मुबालिगे से काम नहीं ले रहा हूँ,—रेलवेज में एक-एक सीट की रिजर्वेशन के लिए पांच-पांच रुपये मांगे जाते हैं। मैं यह बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन अवाम की तकलीफ़ मुझे कहनी पड़ती है। टिकट-एग्जामिनर्ज के, वे छोटे हों या बड़े, इतने लम्बे-लम्बे, चार-चार इंच के दांत हैं, लेकिन ये लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। अगर ये लोग लाल भंडा लेकर यहां पर लैक्चर करने के

[श्री रणधीर सिंह]

बजाये उन लोगों को इकट्ठा करके उन्हें लेक्चर दें, तो अच्छा हो।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): I want to raise a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is the point of order?

SHRI DHIRESWAR KALITA: When a Bill is before the House, we have to speak on the provisions of the Bill. But he is bringing in all irrelevant things. I would request you to ask him to speak on the provisions of the Bill.

श्री रणधीर सिंह : चेयरमैन महोदय, चोर की दाढ़ी में तिनका।

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura): I have also to submit that he has raised all sorts of allegations and accusations against some categories of railwaymen who are not present here to reply to these charges. It is a one-side picture. Will you allow us to speak of the other side? We shall tell you who are actually responsible for all these evils. Somebody called the ticket-checking staff dishonest, some others called them inefficient. Now he is saying all cock-and-bull stories. They are not here to reply to these charges.....

MR. CHAIRMAN: I have understood you. The Minister is here to reply on their behalf.

SHRI J. M. BISWAS: When a Government officer is not here, can he be criticised or can allegations be brought against him.

श्री रणधीर सिंह : जो जड़ है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। टिकटलैस ट्रेवल की जड़ क्या है?

SHRI J. M. BISWAS: I want your ruling on this.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is here. He will reply to these.

DR. RAM SUBHAG SINGH: So far as he has not said against anybody. He has only said against people who lecture here.

श्री रणधीर सिंह : चेयरमैन महोदय, या तो आप इन माननीय सदस्यों को कंट्रोल में करें, या आप मुझे करने की इजाजत दें।

16 hours

SHRI J. M. BISWAS: Sir, I think somebody else is responsible for these evils. Will you allow me to speak? I know that a travelling ticket examiner has to pay bribe to his higher officer. Allegations have been brought against booking clerks, ticket checking staff and others. I can say who is the root cause.

On an earlier occasion while I was speaking, I was not allowed to make such references.

MR. CHAIRMAN: When he gets a chance to speak, he might reply to him.

श्री रणधीर सिंह : चेयरमैन महोदय, अब तक मैंने नाम नहीं लिया था अब मैं नाम भी लेता हूँ। अखलाकी जिम्मेदारी उसकी इन लीडरों पर है..... (व्यवधान)..... मैं लीगल आर्ग्यू-मेंट्स दे रहा हूँ। उनके पास कहां इतना दिमाग है कि वह मेरी बात को समझ लें। वह तो खाली स्लोगन समझते हैं, कोई बारीक बात कैसे समझ सकते हैं? ... (व्यवधान) ... मैं यह अर्ज कर रहा था, मेरे भाई विद्वांस से मुझको प्यार है उनके पीछे खड़े कालिता से प्यार है और फरनेन्डोज तो मेरे दोस्त ही हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि बजाय इसके कि लोगों से हड़ताल कराएँ और स्वामस्वाह गवर्नमेंट को तंग करें इस बात की भी अखलाकी उनकी जिम्मेदारी है कि ट्रेड यूनियन्स की लीडरशिप वह करते हैं, टिकटलैस ट्रेवलिंग को रोकने के लिए भी चाहे मुलाजमीन में या और तवकों में जाकर वह कहें कि 15 करोड़ रुपया साल में इससे नुकसान पड़ता है (व्यवधान) अगर आप कोआपरेशन दें तो 15 करोड़ घाटा यह और 15 करोड़ और 30 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। लेकिन यह केवल भाषण देते हैं, गवर्नमेंट पर हमला करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते।

उस सिलसिले में मैं यह कह रहा था कि कोई आदमी अगर सफर करे चाहे वह कोई हो, अगर पता न हो कि फरनेन्डीज आल इन्डिया लीडर हैं तो मैं तो कहता हूँ कि उनको भी तीन चार रुपये सीट के देने पड़ेंगे।

16.04 hours

[SHRI R. D. BHANDARE in the Chair]

वैसे हर आदमी तो बेईमान नहीं है। लेकिन 50 परसेंट ऐसे आदमी मौजूद हैं।... (व्यवधान) 50 परसेंट मैंने थोड़ा कहा। अब मैं 75 परसेंट कहूँगा। मैं तो इस वास्ते कह रहा था कि मेरे भाई दुःख न मानें। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि 75 परसेन्ट ऐसे आदमी हैं।

SHRI J. M. BISWAS: This is not correct.

MR. CHAIRMAN: When he is called upon to speak, he has every right to have his say. But let him not interrupt like this.

SHRI J. M. BISWAS: If he says something incorrect, I have right to correct him.

MR. CHAIRMAN: Do not correct him. This is not the way of carrying on debate.

श्री रणधीर सिंह : जो हर एक को तकलीफ है, जो हरिजन को तकलीफ है, मजदूर को तकलीफ है, छोटे दुकानदार को तकलीफ है, किसान को तकलीफ है, वह मैं रख रहा हूँ। यह सही बात है इसलिए इनको कड़वी लगती है। मैं कहता हूँ कि इनकी हो जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कहते हैं कि सारे के सारे युधिष्ठिर हैं, कोई बेईमान नहीं हैं। मे कहता हूँ तुम भी जोर लगाओ, मैं भी जोर लगाता हूँ, गवर्नमेन्ट के अफसर भी जोर लगाएं, डा० राम सुभग सिंह भी जोर लगाएं...

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अफसरों में बेईमान नहीं हैं ?

श्री रणधीर सिंह : हैं, वह भी हैं।
...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: If there is at all to be a debate, a Member speaking should not be interrupted unless it be on a point of order. Let decorum and rules of procedure be observed.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आज सुबह प्रधान मन्त्री ने यहां पर बैंकिंग पर बयान देते हुए कहा कि अगर मैं आर्डिनेन्स नहीं लाती तो वे लोग हिसाब में गड़बड़ करते। जहां बैंकर्स बेईमान हैं वहां यह क्या बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अफसरों के बारे में ? ... (व्यवधान) ... इसीलिए दस मिनट तक मैं चुप बैठा रहा।

श्री रणधीर सिंह : मुझे जो टोक रहे हैं, मैं उन्हें बोलने नहीं दूँगा। मैं बैठ जाऊंगा लेकिन मैं इनको एक मिनट भी नहीं बोलने दूँगा।

MR. CHAIRMAN: Don't do that.

श्री रणधीर सिंह : मैं जो कहना चाहता था वह यह कि मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेन्ट ने इन पर रहम किया है, बल्कि किया है जो यह बिल वह यहां लाये। और यह 10-15 करोड़ की बात नहीं है, मैं कहता हूँ कि पेनाल्टी थोड़ी ली जाय लेकिन एक दिन की कैद भी कर दें तो फिर यह काम कोई नहीं करेगा। यह मैनडेटरी होना चाहिए कि केवल जुर्माना नहीं, एक दिन की सजा भी होगी। टिकटलेस ट्रैवल करने का एक फैशन बन गया है। यहां तक कि लीडर भी बिना टिकट चलने में फैशन समझते हैं। ये पढ़े लिखे आदमी, हमारे नौजवान और मेरे अपने बेटों में यह फैशन हो गया है कि बगैर टिकट सफर करें। टिकट लेकर चलना बेवकूफी समझते हैं। दिल्ली से सोनीपत और गाजियाबाद हजारों की तादाद में रोजाना आदमी आते जाते हैं जिनमें 70 परसेन्ट आदमी बिना टिकट सफर करते हैं। इनकी एक आदत बन गई है। जैसे एक मोटा सरमायेदार जो कारखाना चलाता है वह कहता है कि बेवकूफ हैं वह जो अपना रुपया

[श्री रणधीर सिंह]

लगाते हैं, सरकार के पास इतना पैसा है। इसी प्रकार से वह कहते हैं कि वेवकूफ हैं जो टिकट लेकर सफर करते हैं। कुछ एक आदत-सी पड़ गई है, हमारा करैक्टर गिर गया है, सारे कन्ट्री का करैक्टर गिर गया है। मैं डाक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ और एक भाई के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक्सीडेंट की बात करते हैं। एक्सीडेंट कहां हैं अब? एक्सीडेंट तो डा० राम सुभग सिंह के आते ही गायब हो गये। ऐसे एक दो एक्सीडेंट तो खुदा भी नहीं रोक सकता और किसी भी देश में कोई भी नहीं रोक सका है। वाकी हिन्दुस्तान में अब एक्सीडेंट कहां हैं? डा० राम सुभग सिंह के वजारत में आने के बाद यहां पर एक्सीडेंट बिल्कुल लोयस्ट हैं... (व्यवधान)... ये एक्सीडेंट्स भी जो थोड़े बहुत होते हैं उनकी जड़ भी यही है। लोग ओवर क्राउडिंग करते हैं, बगैर टिकट चढ़ जाते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और टी० टी० पैसे कमाने में लग जाते हैं, इसी से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। यह टिकटलेस ट्रेवेलिंग ही एक्सीडेंट्स की बुनियाद है। इसलिए चोर को ब्या मारो, चोर की मां को मारो। टिकटलेस ट्रेवेलिंग ने लोगों को बेईमान बना दिया है।

तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन दे करके आधा घंटा हाउस का टाइम बरबाद किया... (व्यवधान)... मैं डा० साहब को बधाई देता हूँ इस बिल के लिए और इसका स्वागत करता हूँ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस आर्डिनेन्स के ऊपर जो यहां पर प्रस्ताव पेश किया गया है वह संविधान के अन्तर्गत पेश हुआ है। आपको मालूम है संविधान के अनुसार जब कोई भी आर्डिनेन्स सदन में आता है तो उसका विरोध करने का प्रस्ताव रखने का हर एक मेम्बर को अधिकार है। उसके अन्तर्गत यह प्रस्ताव पेश किया गया

है और स्पीकर साहब ने उसकी इजाजत दी है। इसके ऊपर यदि कोई सदस्य यह कहे कि सदन के समय को बर्बाद किया...

श्री रणधीर सिंह : यह भी ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : इनके मुंह पर कोई रोक नहीं लगा सकता, मैं इसको महसूस करता हूँ लेकिन जब कोई भी इस किस्म की बातें कहे तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमें बतायें कि संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रस्ताव को समय बर्बाद करने वाला प्रस्ताव कोई कह सकता है?

MR. CHAIRMAN: When there is a statutory motion brought before the House, it is not proper to say that bringing the motion is a waste of time.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura): I agree with the Railway Minister that ticketless travel is an evil and my party takes the view that it should be eradicated. But I am opposed to the method by the Railway Minister in issuing an Ordinance; it could have been done in a better way in consultation with the ticket checking staff who had been entrusted with the responsibility to do this work rather than issuing an Ordinance in a hasty way.

The Railway Minister has said that after the promulgation of the Ordinance the earnings of the railways had improved. He should know that most of our people are very poor. If a man is forced to travel in a hurry, he jumps into the train but he will pay the excess fare if you charge him fifty paise. But if you charge him Rs. 10/- he will be unable to pay and so he surrenders himself and goes to the jail. You are losing revenue thus on the one hand. On the other hand if he is convicted and sent to jail; the Government has to spend money on feeding him. That is the complaint that has come from the ticket checking staff who assemble in New Delhi in a Conference yesterday. They were saying that it was easy for them to realise fifty paise as excess fare but it is very difficult to realise Rs. 10/-.

What happened a month back? Some persons were charged by the ticket checking staff. Immediately after being charged the passengers got down from the train, they realised Rs. 20/- from the wife of the ticket checker. Ticket checking staff are being hammered in the train. There are thousand and one instances. Dr. Ram Subhag Singh came out with a statement that the public were attacking the railwaymen when they were charging the ticketless travellers and tried to realise money from the ticketless passengers.

Dr. RAM SUBHAG SINGH: But not after this Ordinance. It has not happened after this Ordinance.

SHRI J. M. BISWAS: It has happened after the Ordinance. This happened about a month back. The wife of a ticket checking staff at Naihati (E. Rly.) was surrounded by some ticketless traveller who had been charged Rs. 10/- and his wife had to pay the entire amount. In Mogalsarai also there were complaints of a similar nature. My point is that the law should be so framed that the railway staff could implement it. My point is that if the penalty had been retained at fifty paise, even the poor persons would have paid the penalty and it would have been easier for the railway staff to collect that penalty. There are some respectable persons who work as Professors in the University; sometime they come in the last minute and jump into the train and after finding out the TTE pay him the excess fare of eight anna and also the fare.

The TTE was telling me that it is very difficult to realise Rs. 10 now. Those people were all very respectable men. The TTE told me the reasons for their doing so. It was to avoid standing in the queue. If they have to pay the fine, it was Rs. 10, whereas the fare was 25 paise. That happened at one station. I request the hon. Minister to appreciate the difficulty. Most of the passengers who travel without tickets are travelling by third class; they are very poor and it will be very difficult to realise heavy amounts by way of fine from them. Instead, the poor people will prefer to go to jail.

Another point is this. Shri Imam was accusing our railway ticket-checking staff as inefficient and dishonest. The example he

cited was that he was travelling in a train up to Madras and he found in the corridor compartments 25 passengers travelling without tickets, but that no ticket-checking staff was found there. Is this a ground for making an allegation against the ticket-checking staff that they are inefficient and dishonest? Perhaps Shri Imam does not know that one of the latest policies adopted by the railway administration is called 'Economy drive'. Many posts in the several categories of staff have been surrendered. Ticket-collectors, Ticket-checkers and other staff are not travelling by all the trains due to shortage of staff. Of late, the railways have adopted a policy of asking the casual labour, gangmen, clerks, anybody they find surplus, to collect and check the tickets. They are going on checking the tickets like this. I believe the hon. Minister will agree with me that the railways are running short of such staff. That is also a cause.

I do not want to go into the details of the matter within such a short time at my disposal. I can tell one thing, for explaining the root cause of this evil. I had a talk with the railway officers also. I have been travelling by the Howrah Mail from Calcutta to Delhi and *vice versa*. You have the dining-car in this train. Just see the fate of the dining-car. Any Member of Parliament can go and see. I challenge them. In my last budget speech also, I referred to this before the House. Say, for example, the manager of the dining-car is supposed to take 40 kg. meat in the compartment. If you go and check, it will be 30 kgs. or below. If he refuses to issue receipt for 40, he will be punished.

Where do the remaining 10 kg. of meat go? Nobody knows. It will be distributed in the houses of high officials. These things are happening there. I know a section of the railway people, why in the railways alone, in the police also, such things happen; in the other departments also this happens. A small section is corrupted; I must say that the top level officers are mostly responsible for these people to become corrupt. They want these people to be corrupt. I know some responsible Members of Parliament travelling on their identity-cum-card pass only with their families. The TTE come and ask the Member of Parlia-

[Shri J. M. Biswas]

ment for the ticket for his family. The latter replies that he is a friend of the Minister. (*Interruption*).

Dr. RAM SUBHAG SINGH: Sir, on a point of order. Who is the Minister whose example was cited by the TTE, and who is the Member? This is a serious charge against a Member of the House. Who was the Member who was travelling without tickets along with his family, and who is the Minister who was mentioned?

SHRI J. M. BISWAS: I can give him everything, and I can give to hon. Minister something more also.

Dr. RAM SUBHAG SINGH: Wild allegations of this nature must not be made. They cannot be corroborated.

SHRI J. M. BISWAS: I can give him the facts. If he wants something more also, I will give him. (*Interruption*)

Mr. CHAIRMAN: When you want to make an allegation, you should make a very specific allegation and it is not proper to make such an allegation as you have made.

SHRI J. M. BISWAS: If you want a specific allegation, I will mention my allegation. I am saying it on the floor of the House. (*Interruption*).

Mr. CHAIRMAN: Order, Order. I am sufficiently powerful to take care of whatever hon. Members say. I would like to tell Shri Biswas that whenever he wants to make an allegation against any hon. Member of this House and also a Minister he should make a specific allegation and place it on the Table of the House so that it could be taken notice of. It becomes certainly a privilege issue. Hon. Members should not make any vague allegations and generally they should not make any allegation against hon. Members of this House.

SHRI J. M. BISWAS: While the hon. Member Shri Randhir Singh was speaking about payment of Rs. 3 and Rs. 4 for a sleeper berth he did not make any specific allegation.

SHRI RANDHIR SINGH: My own son when he was going for NDA had to pay Rs.

3 for reservation. I was giving my own personal case.

Mr. CHAIRMAN: Shri Randhir Singh has had his say. He should not take every possible opportunity to speak. Shri Biswas has not made any allegation. I would also like to reply to Shri Biswas that Shri Randhir Singh did not make any specific allegation against any particular officer, any ticket collector or against any clerk. He was making a general observation. He can also speak in a general way without making any allegation against any hon. Member of the House.

SHRI K. N. TIWARY: Sir, either the hon. Member should give the names or it should be expunged from the proceedings.

Mr. CHAIRMAN: I have given him sufficient warning.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur): Sir, I rise on a point of order. The hon. Member made an allegation and said "one hon. Member of this House". It will be better if he gives the name of that hon. Member or he places the papers on the Table of the House just now. It is not correct to make vague allegations and it should be expunged from the proceedings.

Mr. CHAIRMAN: I presume that every hon. Member listens to what is happening in the House. I have already taken notice of what the hon. Member said and called upon the hon. Member to place his allegation on the Table of the House. Therefore, there was no necessity of raising a point of order because the Chair has already taken notice of it.

SHRI J. M. BISWAS: Sir, I would like to suggest that the Railway Minister should not force the House to pass this Bill now. He should consult the ticket-checking staff who are the men on the spot to do this duty. He should consult them and find out some method. We are also equally worried like him and we agree that this evil should be eradicated, but I can tell you that by this amendment this evil cannot be eradicated and it will only cause loss in the railway revenues which the Railways were earning from this type of passengers.

श्री का० ना० तिवारी (बेतिया) : चेयर-मैन महोदय, विश्वास साहब के बोलने के बाद मेरा काम बासान हो गया है क्योंकि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि पैनालटी होनी चाहिए, चाहे वह पचास पैसे हो या दस रुपए हो लेकिन पैनालटी होनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि दस रुपए की जो पैनालटी रखी गई है वह बहुत ज्यादा है। लेकिन पैनालटी का होना जरूरी है। मैं रेल मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ—कि वे इस पर पुनः विचार करें क्योंकि अगर दस रुपए की पैनालटी रह जायेगी तो बहुत से गरीब आदमी इसमें फंस जाया करेंगे।

मैं छोटी जगह से आता हूँ और हमारा तजुबा यह है कि जो बुकिंग आफिसेज होते हैं—बाबजूद इसके कि ऊपर से आर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सकुलर्स होते हैं—फिर भी ट्रेन आने के 10-15 मिनट पहले ही खिड़की खोली जाती है। मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में सख्ती की जाये और एक घंटा या आधा घंटा, जैसा भी नियम है उसके मुताबिक पहले खिड़की खोली जाये।

जहां तक टिकटलैस ट्रेवलिंग का सवाल है, वास्तव में यह बड़ा भयानक हो गया है। थर्ड क्लास पैसेंजर्स के अलावा जो लोग फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है, फर्स्ट क्लास के जो बौनाफाइड पैसेंजर्स होते हैं उनको भी जगह नहीं मिल पाती है क्योंकि टिकटलैस ट्रेवलर्स से ही वे कम्पाटमेंट भर जाते हैं। यह स्थिति करीब करीब सभी छोटी और बड़ी लाइनों में हो गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ऑर्डिनेन्स निकाला गया और यह बिल लाया गया है इसको कानूनी रूप दे देना चाहिए ताकि रेलवे की आमदनी भी न मारी जाए और बौनाफाइड पैसेंजर्स, चाहे वे किसी भी क्लास के हों उनको तकलीफ न होने पाये।

रिजर्वेशन के सम्बन्ध में जो शिकायत की गई है, मैं समझता हूँ बार बार रेलवे बजट के समय इस बात की तरफ रेल मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। जैसा कि अभी रणधीर सिंह जी ने कहा, टिकटलैस ट्रेवलर्स बहुत से ऐसे हैं जिनको कि सीट, अगर वह टिकट चाहें तो नहीं मिलेगी लेकिन नाजायज तरीके से उनको सीट मिल जाती है। जैसा कि विश्वास साहब ने कहा, यह बात ठीक है कि रेलवे में जो काम करते हैं वे सब बेइमान नहीं हैं लेकिन साथ ही यह भी सही है कि बौनाफाइड ट्रेवलर्स को रिजर्वेशन न मिल करके जो लोग कुछ पैसा खर्च करते हैं, उनको सीट्स मिल जाती हैं। विश्वास साहब इस बात से इन्कार नहीं करते हैं, उनका भी अपना यह तजुबा होगा। इसलिए मैं इस बिल की तारीफ करता हूँ और रेल मन्त्री महोदय से पुनः दो निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह कि पैनालटी की जो रकम है उसको कम करने के बारे में वे विचार करें और साथ ही साथ जो टिकट इश्यु होते हैं, उनके लिए जो विन्डोज होती हैं, बड़े-बड़े स्टेशन्स पर उनकी संख्या बहुत कम होती है, उनको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। शायद रेल मन्त्री का भी यह ख्याल होगा कि उनकी संख्या बढ़ाई जाये। इन बातों को कन्सीडर करके जब रेल मन्त्री महोदय यहां पर पेश करें तो इस बिल को पास कर देना चाहिए।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, मेरा भी अमेंडमेन्ट था ?

सभापति महोदय : सेकेन्ड रीडिंग के समय आपका अमेंडमेन्ट लिया जायेगा।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, रेलवे में बहुत ज्यादा खामियां हैं लेकिन इस समय मैं उनका यहां पर जिक्र नहीं करना चाहता। डा० रामसुभग सिंह ने चूँकि अब इस मंत्रालय का चार्ज ले लिया है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वे उन खामियों को दूर

[श्री सूरजभान]

करेंगे। इस समय मैं आर्डिनन्स के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ। यह आर्डिनेन्स क्यों जारी हुआ, उसकी बैकग्राउण्ड क्या है। मुतवातिर कई सालों से रेलवे में घाटा हो रहा था। इस साल थोड़ा सा मुनाफा रेलवे में हुआ है। उस घाटे के कारण कुछ और हैं। रेलवे बोर्ड की इनएफिशिएन्सी को छिपाने के लिए ऐसा किया गया है। यह कह देना कि टिकिटलैस ट्रेवेलिंग के कारण ही घाटा है तो ऐसी बात नहीं है, उसके और भी बहुत से कारण हैं। रेलवे में चोरियां होती हैं, रेलवे में बदइन्तजामी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण घाटा होता है। रेलवे में आपको पैसेजर्स के जरिए से इनकम होती है, गुड्स के जरिए इनकम होती है।

श्री क० ना० तिवारी : टिकिटलैस ट्रेवेलिंग भी तो एक वजह है।

श्री सूरज भान : मैं उसी पर आ रहा हूँ। कुछ और भी वजूहात हैं। टिकिटलैस ट्रेवेलिंग से थोड़ा बहुत जुर्माना भी वसूल किया जाता है लेकिन वह रकम किसी प्रकार का तेजाब तो नहीं है जो दूसरी रकम में शामिल होने के बाद वह पहली आमदनी को भी जाया कर देती है। हरगिज ऐसी बात नहीं है। मुझे एक शेर याद आ गया जो आज के दिन के लिए निहायत मौजू है :

आज के दुनिया के दीवाने

चांद को पास से देख आये हैं,
शायद ही अब यह दीवाने

बोर्ड के बहकाने में आयें।

हम बहकाने में नहीं आ सकते। हरगिज इस बात का यह कारण नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, अब तो रेलवे में पैसेन्जर सफर ही नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि ओवर क्राउडिंग है। एक बस होती है उस में 50 से 51 पैसेन्जर अगर चढ़ जाते हैं तो उस का चालान होता है। लेकिन रेलवे के थर्ड क्लास

के डब्बे में 50 की जगह अगर 100 आदमी बैठ जायें तो रेलवे का कोई चालान करने वाला नहीं है। फिर जो आदमी सफर करता है उस को यह भी पता नहीं है कि वह मंजिल मकसूद पर ठीक टाइम से पहुंचेगा कि नहीं। उस को यह भी पता नहीं कि जिन्दा पहुंचेगा कि नहीं। किस वक्त ऐक्सीडेंट हो जाये, कोई गाड़ी में कत्ल कर दे कुछ पता नहीं है। यह हालत है जिस की वजह से लोग बसों में सफर करना मुनासिब समझते हैं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है। आप ने एक आर्डर कर दिया कि 50 पैसे की जगह 10 रु० जुर्माना होगा। और एक शर्त रखी है कि मुसाफिर जब गाड़ के पास जायेगा वह तस्दीक तभी करेगा कि वह यहां से चढ़ा है जब मुसाफिर उस को उस स्टेशन का प्लेटफार्म टिकट दिखायेगा। अब यह सोचने की बात है कि अगर वह आदमी प्लेटफार्म टिकट ले सकता है तो असली टिकट क्यों नहीं लेगा। इसलिये मेरी राय में यह शर्त बिल्कुल गलत है। मेरे पास भी कमप्लेन्ट्स आयी हैं कि एक एक क्लेमिली से 70-70 रु० नाजायज तौर पर चार्ज किये गये हैं। अब जुर्माना 10 रु० होगा तो टी० टी० कहेगा कि 5 रु० मुझे दे दीजिये मैं जब में डाल लूंगा और वह उस पैसेन्जर को स्टेशन दरवाजे से निकाल देगा। इस सिलसिले में एक बात और भी यह है कि एक दूकान होती है बाजार में अगर उस पर सेल्स मैन न बैठे तो दूकान का सारा माल लुट जायेगा। गाड़ी में टी० टी० नहीं होगा तो गाड़ी के बिजनेस—समय के अभाव के कारण लोगों का टिकट न ले सकना आम गाड़ी का टिकट लेकर, एक्सप्रेस में सफर करना, नीचे दर्जे का टिकट ले कर ऊंचे दर्जे में बैठना और टिकट एक्स्टेन्ड कराना—का क्या होगा। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि हर एक सवारी गाड़ी के साथ एक टी० टी० दीजिये।

आप कह सकते हैं कि इस से काफ़ी खर्ची बढ़ जायेगा। लेकिन जो आप टिकटलैस ट्रेवेलिंग

से सरकारी आँकड़ों के अनुसार करोड़ों रुपये का नुकसान उठाते हैं उसके मुकाबले में हर गाड़ी के साथ टी०टी० लगाने का खर्च कम होगा और आप का घाटा जो अभी टिकटलैस ट्रेविलिंग की वजह से बढ़ रहा है वह भी खत्म हो जायेगा।

एक बात मैं टी० टी० की सेफ्टी के बारे में भी कहना चाहता हूँ। फ़ीरोजपुर से रात के समय जो गाड़ी जालंधर के लिये चलती है उसमें कोई आदमी टिकट नहीं लेता, और टी०टी० टिकट चैक इसलिये नहीं करता कि अगर वह टिकट पूछेगा तो उसको डराया जाता है कि तुमको जान से मार दिया जायेगा। इसलिये टी०टी० की सैफ्टी का इंतजाम होना चाहिये तभी वह अपने काम को सर अंजाम दे सकते हैं वरना ऐसी जगहों पर टिकट पूछकर कौन अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहेगा।

इसी तरह से उनकी एक और दिक्कत है। मसलन गाड़ी में जो ड्राइवर, फ़ोरमैन आदि चलते हैं उनको तो रनिंग स्टाफ़ माना जाता है। लेकिन टी०टी० को रनिंग स्टाफ़ नहीं माना जाता है। अगर उनको रनिंग स्टाफ़ मानकर कुछ फेसिलिटीज मिल जायें तो वह मुतमयन होकर अच्छा काम कर सकेंगे।

रेलवे बोर्ड का यह इलजाम लगाना कि हिन्दुस्तान के लोग बेईमान हैं, और आदत के कारण वे टिकटलैस ट्रेविल करते हैं यह बिल्कुल गलत बात है। टिकट चैकर के गाड़ी में न होते हुए भी मैजोरिटी लोग टिकट लेकर चलते हैं। इसलिये उनपर कोई इलजाम नहीं लगाना चाहिये। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति जी, रेलवे को घाटा हो रहा था और टिकटलैस ट्रेविल से 10,15 करोड़ रु० का घाटा होता है। इसलिये यह आर्डिनंस आया। मैं समझता हूँ कि रेलवे का सैंकड़ो करोड़ का घाटा होता है, एक तरह से नहीं कई

तरह से। टिकटलैस ट्रेविलिंग का यदि ठीक हिसाब लगाया जाय तो मेरा खयाल है कि 40 करोड़ रु० से कम का घाटा नहीं होगा। इसके अलावा लोग छोटे छोटे पार्सल और गुड्स बिना बुक कराये अपने साथ ले जाते हैं, चोरी से ले जाते हैं। उससे भी रेलवे का करीब 25, 30 करोड़ रु० का घाटा होता है।

इस घाटे की पूर्ति कैसे की जाये? यह आदत कैसे छुड़ाई जाये? क्या उसके लिये यह आर्डिनंस काफी है? मुझे शक है कि इस आर्डिनंस से शायद ही वह काम हो सके। उल्टे इससे रेलवे स्टाफ़ और अधिक चोर हो जायेगा।

श्री रणधीर सिंह : बड़े पते की बात आपने कही है। मैं यही बात कहना भूल गया था जो माननीय सदस्य ने कही। जी चाहता है मैं इन का मुँह चूम लूँ।

सभापति महोदय : जब शेरों शायरी सुनते हैं, तो लोग कहते हैं कि वाह वाह। मगर यहाँ पर पालियामेंट है, इस में बीच में दूसरे को मदद करना, या बीच में वाह वाह करना यह भी ठीक नहीं है। किसी को सप्लीमेंट या कामप्लीमेंट नहीं करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि जब हमें कुछ नहीं करना है तो बीच में क्या करना चाहिए।

सभापति महोदय : चुपचाप बैठना चाहिए।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मेरी आदत नहीं है कि कोई बोलता रहे तो मैं बीच में बोलूँ। मैं किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता। मैं सदा या तो बोलता हूँ या सुनता हूँ। यह उपदेश उनको देना चाहिये जो ऐसा करते हैं।

सभापति महोदय : आप के लिये नहीं था। स० मो० बनर्जी के लिये था।

श्री द्वा० ना० तिवारी : तो मैं कह रहा था कि इस आर्डिनंस से चोरी ज्यादा होगी। आज क्या स्थिति है? दो, चार स्टेशन जिनको जाना है वे जल्दी में टिकट नहीं ले सकते और गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। उनको आठ आना टिकट पे अधिक लगता है। आज अगर वह ईमानदारी से टिकट लेने जायें तो उनको दस रु० अधिक लग जायेंगे। परिणाम यह होगा कि वह टिकट बाबू को कहेंगे कि बाबू दो रुपया ले लो और हमको छोड़ो। और यही हो रहा है।

इतना ही नहीं भले ही आमदनी बढ़ी हुई दिखाई गयी हो, हो सकता है कि इसके भय से कुछ ज्यादा लोग टिकट लेने गये हों, लेकिन इस पैनाल्टी से पैसा नहीं आयेगा। उस से ज्यादा चोरी होगी। सब लोग जानते हैं कि जो लोग टिकटलैस ट्रैवलिंग में इंडलज नहीं करते हैं और जो किसी लाचारी से बिना टिकट के या शार्ट टिकट के चलते हैं वही लोग पकड़े जाते हैं। जो माहिर हैं इस काम में वह कभी नहीं पकड़े जाते हैं। उनका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर लगाव रहता है। जब कभी चैकिंग स्ववाड चलता है तो उनको पहले से सूचना मिल जाती है कि अमुक अमुक स्टेशन से स्ववाड शुरू होगा और उसके पहले ही गाड़ी से उतर जाते हैं। पकड़े जाते हैं भले मानस, बजाय हैबिचुअल टिकटलैस ट्रैवलर्स के। तो आप इस आर्डिनंस से उन्हीं को सजा देना चाहते हैं जो ईमानदारी से आप को पैसा देना चाहते हैं और हैबिचुअल को आप सजा नहीं दे रहे हैं। इसलिये उन को पकड़ने की कोशिश आप कीजिये जो हैबिचुअल टिकटलैस ट्रैवलर्स हैं।

मेरे यहां एक पलेजाघाट है, हम ने कई मर्तबा कहा कि वहां एक घाट से घाट बुकिंग आफिस हो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई थी इसलिये वह नहीं हो सका। लोग बस से, टैक्सी से, टमटम से या साईकिल से आते हैं पलेजाघाट से उस पार महेन्द्रू घाट—जो पटने में है—का टिकट लेते थे। दो, चार आना नान-बुकिंग चार्ज देते थे और उस

पार चले जाते थे। आज उन से 10 रु० मांगा जाता है। आप को मालूम होगा कि वहां का बुकिंग कितना कम हो गया है। वहां एक प्राइवेट जहाज चलता है, लोग महेन्द्रू घाट प्राइवेट जहाज से जाने लगे हैं।

यदि आप के जहाज से जाते हैं तो चोरी से एक आध रुपया दे कर पार हो जाते हैं। आप को पैसा नहीं मिल पाता। आप इस पर कुछ ध्यान दें कि ऐसे स्थानों पर जहां से बाहर से लोग ट्रेन से नहीं, दूसरी सवारियों से आते हैं और दूसरे हिस्सों में जाते हैं, उन के लिये भी क्या यही कानून रहेगा। क्या उन को जबर्दस्ती पैनेलिटी देनी होगी जो टिकट लेना चाहते हैं और टिकट ले कर जाना चाहते हैं, जिन के लिये वहां बुकिंग नहीं होती। अब तक यह होता था कि चार छः आने ज्यादा दे कर उन का काम चल जाता था लेकिन अब आप ने नान-बुकिंग चार्ज 10 रु० कर दिया। जो लोग ईमानदारी से टिकट खरीदना चाहते हैं दो चार आने ज्यादा दे कर भी काम चलाना चाहते हैं, लेकिन अब जब आप ने 10 रु० कर दिया तो उन की ईमानदारी कहां रहेगी? जो किसान चार छः आने ज्यादा खर्च कर के ईमानदार रहना चाहता है उस को आप जबर्दस्ती बेईमान बना देंगे क्योंकि यह आर्डिनंस उन को बेईमान बनाने का साधन बन जयगा।

दूसरी बात यह है कि पहलेजा से महेन्द्रू घाट (पटना) का टिकट 1 रु० 10 या 12 आना हैं। लेकिन पटना के आगे गुलजारी बाग स्टेशन है उस का किराया 1 रु० 10 पैसा है। कुछ लोगों को यह मालूम हो गया है। अब वह पहलेजा से गुलजारी बाग का टिकट लेते हैं। इस तरह से हर टिकट पर रेलवे को 40 या 50 पैसे का घाटा होता है। पहले लोग इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे-धीरे यह बात रेलवे स्टाफ के जरिये से खुल गई है। जो होशियार लोग हैं वह अब यही करते हैं। अगर आप देखें तो पता चल जायेगा कि इस बीच में गुलजारी बाग के लिये टिकटों का बिकना कितना बढ़

गया है। इस तरह से रेलवे को आमदनी होने के बजाय घाटा हो रहा है। सरकार को चाहिये कि वह इस पर विचार करे कि लोगों पर बहुत ज्यादा जुर्माना न लगे जिस से वह ईमानदार बने रहें और रेलवे को भी घाटा न हो।

इन सब बातों को देखते हुए मुझे ऐसा मालूम होता कि इस आर्डिनेन्स से सरकार को नफा नहीं होगा, घाटा ही होगा। जो ला-अवाइडिंग लोग हैं वह तो ऐसी कोशिश करेंगे कि गाड़ी छोड़ दें, लेकिन बिना टिकट न जायें, जिस में कि 10 रु० न देने पड़ें। लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं करेंगे।

इस के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप भले ही अधिक पैसा लीजिये, लेकिन साथ ही आप को यह भी देखना होगा कि आप ने पैसेज्जनों से फेसिलिटीज देने की प्रामिज की है, वह आप देते हैं या नहीं। कोई बात एक-तरफा नहीं चला करती है। आज जो गाड़ियाँ सोनपुर, समस्तीपुर और कटिहार से चल कर गोरखपुर और लखनऊ तक जाती हैं वह पांच, छः या आठ घंटे तक लेट चलती हैं। कोई इस को देखने वाला नहीं है। आप समस्तीपुर में डी एस आफिस ले गये, जिस से कोई मतलब नहीं है। उस का कंट्रोल हमेशा खराब रहता है। कोई बतला नहीं सकता कि गाड़ी कितनी लेट है कितनी नहीं। अगर आप उन से पैसा लेते हैं लेकिन उन को सुविधा नहीं देते तो फिर कैसे काम चल सकता है? आप दोनों तरफ से विचार करने की कोशिश कीजिये और उस के बाद सोचिये कि एन इ आर का डी एस आफिस कहाँ रखना चाहिये। मैं मानता हूँ कि चूँकी आसाम में आन्दोलन हुआ इस लिये आप ने उस को दो डी एस दे दिये और एक डी एस देने की प्रामिज की है। जो पहले नार्थ बिहार का हिस्सा था उस को आप ने काट छांट कर बिहार के दायरे से अलग कर दिया। कुछ एन एफ को दे दिया कुछ यू पी में दे दिया और बिहार को ट्रंकेंट कर दिया। मैं पहले इस बात को नहीं कहता था क्योंकि आप ने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं

होगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन पिछले दो महीनों में आप देखिये कि कितनी गड़बड़ी हुई है। वहाँ पर जो गाड़ियाँ लेट चलती हैं उन की कोई इन्फार्मेशन नहीं रहती। इसलिये मुझ को कहना पड़ा।

मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस समस्या पर विचार कीजिये किसी को असुविधा की बात नहीं होनी चाहिये। आप सोचिये कि व्यापारियों को कैसे सुविधा हो और ट्रैवेलिंग पब्लिक कैसे सन्तुष्ट हो सकती है।

श्री वि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय की चिन्ता को समझता हूँ टिकटलेस ट्रैवेलिंग के बारे में, लेकिन मुझे डर है कि इस के लिये जो नुस्खा दिया है, जो इलाज किया है, उस से यही होगा कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। बजाय इस के उस में कोई सुधार हो, उस में नुकसान ही होने का डर है।

मैं आप को अपना अनुभव बतला रहा हूँ। आखिरी पार्लियामेंट के सेशन के बाद मैं घर जा रहा था तब का। मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ एन इ आर चलती है। इसका नाम पहले बी एन डब्ल्यू आर था। अपनी कुस्याति के कारण बी एन डब्ल्यू आर पहले वैंड नाटी वर्स्ट रेलवे कहलाती थी। एन इ आर ने भी वही बात इन्हेरिट की है। मैं एक आध ब्रांच लाइनों की कहानी आप को बतला दूँ। सिर्फ जुर्माना बढ़ा देने से ही टिकटलेस ट्रैवेलिंग कैसे रुक जायेगी, इस पर मंत्री महोदय विचार करें। मानसी एक ब्रांच लाइन का स्टेशन है। मैं अपनी फैमली के साथ फ्रस्ट क्लास के एक छोटे कम्पार्टमेंट में बैठा हुआ था। उस में दो नीचे की बर्थ्स थी और दो ऊपर की। दिन के समय कानूनी तरीके से उस में छः आदमियों को बैठना चाहिये था। लेकिन उस में करीब 50 आदमी बैठ गये। टी टी ई पास ही खड़ा था। वह बेचारा टिकट चैक करने के लिये नहीं आ रहा था। यह बात नहीं थी कि वह

[श्री वि० प्र० मंडल]

जान-बूझ कर नहीं आ रहा था। वहां उस की जान को भी खतरा था। ऐसे ऐसे लोग चढ़ जाते हैं टी टी ई डर जाते हैं क्यों कि लोग उस को मारने के लिये तैयार हो जाते हैं। एन ई आर में कोई भी प्रोटेक्शन रेलवे के छोटे स्टाफ के लिये नहीं है। आप कितना भी जुर्माना रख दें लेकिन उस को वसूल करने के लिये कौन जायेगा। फर्स्ट क्लास में ऐसे पैसेन्जर्स बिना टिकट चढ़ जाते हैं और जब चेकर जाता है तो कहते हैं कि आओ देख लेंगे। उन से 90 रु० कौन मांगेगा ?

मैं दूसरा उदाहरण उसी स्टेशन का दूँ। एक बार मैं एक बेटिंग रूम में फर्स्ट क्लास के अन्दर ठहरा हुआ था। सबरे मुझ को बाथ रूम जाने की ज़रूरत थी। जब मैं वहां जाना चाहता था तब बाहर से दो चार आदमी आये और लोटा ले कर आये और बाथ रूम में चले गये। वह कोई पैसेन्जर नहीं थे, लेकिन बाजार के आदमी थे या कोई रेलवे कोलोनी से आये थे यह मैं नहीं कह सकता। इस तरह से दो घंटे तक लोटा ले कर लोग उस में जाते रहे, और मैं चूँकि अपनी पोजीशन का ख्याल कर के बेटिंग लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता था इसलिए दो घंटे तक वेट करना पड़ा। जब मैंने रेलवे स्टाफ से कहा तो वह बेचारे डरते, वह कहते थे कि यह लोग हम को मार सकते हैं।

इस तरह से जुर्माना बढ़ा देने से ही काम नहीं चलेगा। जो भी जुर्माना होता है उस को वसूल करने की क्षमता जिस स्टाफ में नहीं है उस से आप कहें की वह जुर्माना वसूल करे, तो मुझ को इस पर विश्वास नहीं है। मैं रेलवे मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वजाय इस के कि वह एकदम से जर्माना बढ़ा दें, उन को हर एक रेल गाड़ी में अपने स्टाफ के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। आज ब्रांच लाइनें जो हैं, खास कर एन० ई० आर० की, वह इतनी नगलेक्टेड हैं, गाड फारसेकेन हैं, कि मालूम होता है उन को कोई देखने वाला ही नहीं है।

इसलिये रेलवे में जो स्टाफ चलता है उस के प्रोटेक्शन का भी इन्तजाम सरकार को करना चाहिये।

एक तीसरी घटना भी मैं उसी स्टेशन की आपको बता देता हूँ। इसके बारे में मैंने रेलवे मिनिस्टर को लिख कर भी दिया था। रेलवे के वाय रूम में जाता हूँ तो वहां पानी नहीं पाता हूँ, ट्रेन में पानी नहीं होता है, प्लेटफार्म पर पानी नहीं होता है, बेटिंग रूम में पानी नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह कटिहार की तरफ से, असम की तरफ से आई थी और खगड़िया की तरफ जा रही थी। रेलवे स्टाफ से जब पूछा गया तो पता चला कि यह तभी जाएगी जब पानी ले कर आएगी। तब गाड़ी ब्रांच लाइन में, सहरसा की तरफ चलेगी। मैंने पूछा की बीहपुर से जब गाड़ी आ रही थी तो वहां से पानी क्यों नहीं ले लिया। साथ ही मान्सी स्टेशन पर एक बहुत बड़ा पानी का इंस्टालेशन भी है। मुझे याद है जब मैं बिहार में मम्बर था तो वहां काउंसिल में एक सवाल आया था। तब यह बताया गया था कि रेलवे का स्टाफ छोटे-छोटे दुकानदारों से मिला रहता है और उसको उन से कुछ मिलता है इसलिए पानी की सप्लाई बन्द कर देता है। गंगा के किनारे वह स्टेशन है। यह मैंने लिखकर भी दिया था लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ।

मैं कहना चाहता हूँ कि स्टाफ के खिलाफ मम्बर आफ पार्लिमेंट या कोई भी इम्पार्टेंट आदमी पब्लिक का अगर शिकायत करे तो उसको सुना जाए और उसके बारे में कार्रवाई की जाए। दूसरी बात यह है कि रेलवे में वहां आप अच्छा स्टाफ दें और टिकट चैकिंग स्टाफ को प्रोटेक्शन दें। उसकी प्रोटेक्शन के लिए आम्बर्ड फोर्स की व्यवस्था करें। ऐसा आपने किया तब तो कुछ हो सकता है बर्ना फाइन की रकम बढ़ा देने से उलटा ही इसका नतीजा होगा। इस बिल को लाने में आपकी नीयत भले ही ठीक है लेकिन जो प्रेसक्रिप्शन आपने निकाला है, जो ट्रीटमेंट आपने निकाला है, वह ठीक नहीं।

श्री तुलसीदास जाधव (वाराणसी) : सभा-पति महोदय, यह जो इंडियन रेलवेज सॉल्विंग एमेंडमेंट बिल आया है इसमें यह कहा गया है कि पचास पैसे के बजाय दस रुपये जुर्माना होगा और सौ के बजाय पाँच सौ रुपये तक जुर्माना होगा ।

यह ठीक है कि टिकटलेस ट्रेवल इस देश में बहुत बढ़ रहा है । 1966 में जिन्होंने टिकटलेस ट्रेवल किया उनकी संख्या 81 लाख 29 हजार 666 थी । 1967 में वह बढ़कर 90 लाख 49 हजार 188 हो गई । 1968 में 98 लाख 31 हजार 072 हो गई । ये फिगर रेलवे डिपार्टमेंट की दी हुई हैं । मंत्री महोदय जिस प्रान्त से आते हैं, बिहार से वहाँ मैंने देखा कि टिकटलेस ट्रेवलर्स की संख्या साठ सत्तर प्रतिशत होगी । 'यह तो गाड़ी में बैठे हुए जो लोग होते हैं, उनकी संख्या है । लेकिन गाड़ी के ऊपर जो लोग बैठकर यात्रा करते हैं, वे शायद इस में शामिल नहीं हैं । हिन्दुस्तान के बाहर मैंने कहीं नहीं देखा है कि—गाड़ी के ऊपर बैठकर लोग यात्रा करते हों । बहुत से स्टेशनों पर बिहार में मैंने इसको देखा है । मैंने जब स्टेशन मास्टर से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यह तो यहां रोजाना चलता है । मैंने कहा कि अगर कोई झाड़ पेड़ वगैरह आ जायेगा तो ये लोग कट जाएंगे । उन्होंने कहा कि ये मानते ही नहीं हैं साथ ही इन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं है । स्टेशन सब खुला रहता है । जब गाड़ी खड़ी होती है तो ये अपना अपना सामान लेकर चले जाते हैं । न ये स्टेशन मास्टर को पूछते हैं और न स्टेशन मास्टर किसी को पूछता है । मैंने कुछ लोगों को जबर्दस्ती उतारा । वे नाखुश हुए । लेकिन जब गाड़ी चलने लगी तो वे फिर चढ़ गए । स्टेशन मास्टर ने कहा कि अकेला मैं क्या करूँ । मैं कहता हूँ तो मेरे साथ ये मारपीट पर उतार दिए जाते हैं । कोई पुलिस नहीं है.....

श्री सीता राम केसरी (कटिहार) : अपनी कंस्टिट्यूएन्सी की बात कर रहे हैं ?

श्री तुलसी दास जाधव : बिहार की कर रहा हूँ । महाराष्ट्र में कोई ऐसी चीज नहीं है । आंकड़े निकालेंगे और बिहार और महाराष्ट्र की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में टिकटलेस ट्रेवल बहुत कम है । यह कोई बड़प्पन मैं दिखा रहा हूँ ऐसी बात नहीं है ।

ऐसा होता क्यों है ? इसकी वजह क्या है । लोगों में से यह भावना कहीं चली गई है कि ये हमारे देश की रेलें हैं और हमें इन में मुफ्त प्रवास नहीं करना चाहिये ? जिसको नेशनल कारेक्टर कहते हैं, वह नहीं रह गया है । वह कानून बना देने से नहीं जाएगा । इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ । यह गवर्नमेंट के लिये भी और गवर्नमेंट से बाहर वालों के लिए भी सोचने की बात है । क्या जो पोलिटिकल एटमसफीयर है वह इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं है । हमें सोचना चाहिये कि आखिर इसका कारण क्या है । किस तरह का बरताव हम को जनता के साथ करना चाहिये ? क्यों इस तरह की हवा बह गई है ? इस में किसी एक आदमी का दोष नहीं है ।

हम पालियामेंट के मॅम्बर हैं । हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं ।

गाड़ी छूटने के दो मिनट पहले हम लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं । जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वी आई पी का सा हमको ट्रीटमेंट मिलता है । हम जा कर फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं । कोई तकलीफ हमको नहीं होती है । लेकिन उसी वक्त पर हमारे सामने हमारी कंस्टिट्यूएन्सी के लोग थर्ड क्लास में बड़ी भीड़ में बैठ जाते हैं । हम खिड़की से देखते हैं कि उन में मारपीट होती है । इस सबको देखकर उनके दिल में यह आता है कि हम लोगों ने तो इनको चुनकर भेजा है और यही हमारे सामने बड़े राजा की तरह से बैठ जाते हैं और हमारी तकलीफों को कोई परवाह नहीं करते हैं, उनको देखते तक नहीं हैं । संसद सदस्य लोग अपनी कंस्टिट्यूएन्सी में देखते हैं कि घुमने के लिए उनको कोई सहायित

[श्री सीताराम केसरी]

नहीं है लेकिन जब मिनिस्ट्रों की तरफ वे देखते हैं तो पाते हैं कि उनको सब सहूलियतें मिली हुई हैं। यह जो भेदभाव आज चल रहा है इससे यह दिक्कत पैदा हो रही है। यह एक मूल चीज है। हम देखते हैं कि बाजार में हम कोई चीज लेने जाते हैं और उसके लिए दस रुपये देते हैं तो चीज अगर खराब होती है तो उसे वापिस कर देते हैं। अगर चीज अच्छी होती है तो लेते हैं नहीं तो फँक देते हैं। लेकिन यह बात रेलवे के बारे में नहीं कही जा सकती है। जिन के पास टिकट भी होते हैं उनको बैठने के लिए जगह देना इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है? मारपीट होती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐसी चीज होती है तो आम जनता यही कहती है कि गांधी जी द्वारा बताये हुए उसूलों पर चलने वाले ये लोग, गांधी टोपी पहने हुए ये लोग, खादी के कपड़े पहनने वाले ये लोग हम को तो शिक्षा देते हैं लेकिन खुद उन शिक्षाओं के अनुरूप बरताव नहीं करते हैं। इसको भी हमें देखना होगा। यह केवल कांग्रेस का सवाल नहीं है बिहार में विरोधी दल वालों की सरकार भी रह चुकी है। आठ प्रान्तों में इनकी पार्टी की सरकारें भी बनी थीं। यह जो एक हवा देश में फ़ैल गई है, इसका हम निवारण करें। हर एक की दुस्स्ती होनी चाहिये। उतने ही टिकट आप दें जितनी जगह हो। हर एक के बैठने की आप व्यवस्था करें। ऐसा नहीं होना चाहिये कि मुसफिर तो भगड़ते रहें और टी सी और एस एम वहां बैठे रहें और तमाशा देखते रहें।

हमारे राम सुभग सिंह जी देहात से आते हैं। उनको देहातियों के रहन-सहन का पता है। वह उनकी आदतों से अच्छी तरह से परिचित हैं।

मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लातुर और मिराज लाइन पर पंडरपुर के लिए जब लोग जाते हैं तो उनको वैगन्ज में सफर करना पड़ता है उन में उनको बिठाया जाता है। माल गाड़ी

के डिब्बों में उनको बिठा कर ले जाया जाता है। विठोरा र खु माई के मंदिर वे जाते हैं। वे पैसा दिये बगैर और टिकट लिये बगैर सफर नहीं करते हैं। उनके लिए डिब्बों की व्यवस्था तक नहीं होती है। उनके उतरने की व्यवस्था नहीं होती है, लौटने की व्यवस्था नहीं होती है। यह जो चीज सब चल रही है, यह समझ में नहीं आती है।

टिकटलेस ट्रेवल का सब से बड़ा कारण यह है कि रेलवेज में पूरी व्यवस्था नहीं है। इसी कारण गाड़ियों में पानी के टैंप और बिजली के बल्ब आदि चीजें चुरा ली जाती है। यही नहीं, फ़्रस्ट क्लास के डिब्बों से खरब की गड़ियां चुरा ली जाती हैं। इन बातों को रोकने के लिए लोगों में एक नैशनल केरेक्टर पैदा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा टिकटलेस ट्रेवल को रोकने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

हमें लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें रेल में बगैर टिकट के प्रवास नहीं करना चाहिए। पहले लोग भगवान् या खुदा के डर से इस प्रकार के गलत काम नहीं करते थे। अब वह भावना खत्म हो गई है। सब पोलिटिकल पार्टियां भी अपनी बिचार-धारा के अतिरिक्त कोई अन्य बात लोगों को नहीं बताती हैं। जो लोग यूनियनों में काम करते हैं, वे ज़रूर करें और वर्कर्स की तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयत्न करें, लेकिन इस के साथ ही प्राइव्तिटी और पे को भी लिंक किया जाना चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि रेलों में बगैर टिकट के यात्रा करना देश को दगा देना है। अगर सारे देश में ऐसा वातावरण फैलाया जाये, तो टिकटलेस ट्रेवल कम हो सकता है।

रेलवे के अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि वे भी प्रवासियों के साथ ठीक बर्ताव करें। हम देखते हैं कि अगर कोई यात्री इंगलिश में बात करता है, तो उस की तरफ तो कुछ ध्यान दिया जाता है, लेकिन हिन्दी वा मदर-टंग बोलने वाले गरीब आदमियों से बात

भी नहीं की जाती है। इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : चेयरमैन महोदय, मैं इस आर्डिनंस और पिनेल्टी को आठ आने से बढ़ाकर दस रुपये करने की व्यवस्था का विरोध करना चाहता हूँ। आज सुबह ही इस हाउस में यह कहा गया था कि सेशन शुरू होने से 48 घंटे पहले कोई आर्डिनंस जारी करना नाजायज है, गैर-कानूनी है और अनुचित है। जहाँ तक रेलवेज में टिकटलैस ट्रेवल का सम्बन्ध है, यह समस्या कोई नई नहीं है, यह बहुत पुराना मसला है और कई तरीकों से, मोबाइल कोर्ट और स्पेशल स्क्वाड बनाकर इसको हल करने की कोशिश की गई है। पिछले बीस सालों में विभिन्न रेलवे मिनिस्टर जनता की सुविधा के लिए कोई काम तो कर नहीं पाये हैं, लेकिन अब जनता को सजा देने के लिए, आठ आने के बजाये दस रुपया जुर्माना करने के लिए, यह आर्डिनंस जारी कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह आर्डिनंस इस देश की गरीब जनता पर सीधा हमला है।

मालूम नहीं कि किस राजनीतिक उद्देश्य के लिए यह कदम उठाया गया है, किस मकसद से यह आर्डिनंस जारी किया गया है। हो सकता है कि रेलवे बोर्ड और चेयरमैन, श्री खंडेलवाले, की एडवाइस पर रेलवे मिनिस्टर, डा० राम सुभग सिंह, ने यह आर्डिनंस जारी कर दिया है।

मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें मालूम नहीं है कि आम रेलवेज में पैसंजर्ज की हालत क्या है। बनगांव, बशीरहाट और हसनाबाद के इलाके में एक सिंगल लाईन जाती है, जिस पर रोजाना लाखों आदमी सफ़र करते हैं। वहाँ पर सिर्फ़ दो तीन गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन लोगों को उनमें बैठने की जगह नहीं मिलती है। लोग रात रात भर स्टेशनों पर पड़े रहते हैं। उन्हें बहुत परेशानी होती है और छोटे-छोटे बच्चे भूख और प्यास

से बिलखते रहते हैं। इस प्रकार के इलाकों में नई गाड़ियाँ या नई लाईनें बढ़ाने की तो कोई बात नहीं की गई है, लेकिन यह आर्डिनंस निकाल दिया गया है कि अगर कोई टिकटलैस ट्रेवल करेगा, तो उस पर दस रुपये फ़ाइन हो जायेगा।

इसी तरह लक्ष्मीकान्तपुर में गाड़ियाँ बढ़ाने का सवाल एक दिन से नहीं, बल्कि बरसों से चल रहा है। वहाँ पर बहुत पैसंजर्ज यात्रा करते हैं, जिन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। अगर कोई पार्लियामेंटरी कमेटी वहाँ जाकर एनक्वायरी करे, तो उसको शर्म महसूस होगी कि हमारे देश में रेल यात्रियों की क्या हालत है। यहाँ पर सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ नहीं बढ़ाई गई हैं। इन सब ज़रूरी मसलों को न हल कर के सिर्फ़ टिकटलैस ट्रेवल की तरफ़ ध्यान दिया गया है।

मैंने ईस्टर्न रेलवे में कटवा स्टेशन पर देखा है कि अफ़सर किस तरह घूस लेते हैं और किस तरह चोरियाँ होती हैं। वहाँ पर डी० एस०, स्टेशन मास्टर, दूसरे अफ़सरों और जी० आर० पी० का एक ग्रुप बना हुआ है। उन्होंने आम के तीन बैगन्ज में से दो की डिलिब्री दे दी और एक बैगन को डैमेज्ड दिखाकर उसको बेच दिया, जिसका कम्पेन्सेशन रेलवे को देना पड़ेगा। मैंने खुद वहाँ पर जाकर सब हालात को देखा और मैंनेजर से कहा कि वह इस बारे में एनक्वायरी करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहाँ का स्टेशन मास्टर आई० एन० टी० यू० सी० यूनिन का एक्टिंग प्रैजिडेंट बन गया है। उसने कहा कि चूँकि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, इसीलिए उस के खिलाफ़ यह आरोप लगाया गया है। यह घटना दस बारह दिन पहले हुई है। मैं इस बारे में सब इनफ़ार्मेशन डा० राम सुभग सिंह के पास भेजूँगा कम से कम मेरी चिट्ठी का जवाब तो वह ज़रूर देते हैं।

टिकट चेकर्स की तरफ़ से यह शिकायत की गई है कि जुर्माना दस रुपये करने का नतीजा

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

यह हुआ है कि चूँकि ज्यादातर लोग इतना जुमाना नहीं दे सकते हैं, इस लिए जब वे दस पंद्रह आदमियों को टिकटलेस ट्रेवल के इल्जाम में पकड़ कर ले जाते हैं, तो बाकी के सब पैसंजर्ज बिना टिकट के निकल जाते हैं।

अगर सरकार की तरफ से यह आर्डिनंस जारी किया जाता कि करप्शन के मामलों की एनक्वायरी की जायेगी और कुसूरवार अफसरों को डिसमिस किया जायेगा और उन्हें सजा दी जायेगी, तो यह समझा जाता कि सरकार सही रास्ते पर चल रही है। लेकिन इस किस्म के आर्डिनंस का असर क्या होगा? कोई बेचारा गरीब किसान पांच रुपये लेकर कुछ खरीदने के लिए जाता है। आम तौर पर स्टेशनों पर बुकिंग आफिस का ठीक इन्तजाम नहीं है। इस लिए वह टिकट नहीं खरीद सकता है। अगर वह पकड़ा जाता है, तो टिकट चेकर उस से पांच रुपये छीन लेता है और वह चावल वगैरह खरीद नहीं पाता है और भूखा ही सो जाने पर मजबूर हो जाता है।

हम यह नहीं कहते कि पैसंजर बगैर टिकट लिये गाड़ियों पर चढ़ें। लेकिन इस के मानी ये तो नहीं हैं कि अफसर लोग खुले-आम चोरी और लूट करते रहें और जो गरीब आदमी दो आने का टिकट नहीं ले सकता है, उस को सजा दी जाये। अगर ऐसे मामलों के बारे में कोई एम० पी० भी शिकायत करता है, तो भी कोई नहीं सुनता है।

मैं चाहता हूँ कि अगर जरूरी है, तो आठ आने जुमनि को बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा एक रुपया कर दिया जाये। लेकिन इस के साथ ही साथ टिकट बेचने का ठीक इन्तजाम किया जाये। मिसाल के तौर पर उलटा डांगा स्टेशन पर तीन चार प्लैटफार्म बन गये हैं, लेकिन बुकिंग आफिस वही है, जो आज से पच्चीस बरस पहिले था। लोग नीचे से टिकट खरीदते हैं और फिर ऊपर चार नम्बर प्लैटफार्म पर जाते हैं। इस बारे में कोई एनक्वायरी नहीं की

गई है और कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

सब लोगों को इस बात का अनुभव है कि हमारे देश में गरीबी है और वह बढ़ रही है। अब उस के ऊपर उन को यह सजा दे कर उन की गरीबी के ऊपर उन पर और मार करना है। उसको कानूनी शक्ल देने के लिए यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है। अगर इसको हल करना है तो टिकट चेकरों को यह हक दिया जाय, हर टिकट चेकर के पास टिकट की एक स्लिप हो जिस से वह टिकट ईस्यू कर सके उन लोगों को जो कि टिकट नहीं खरीद सके हैं। जहाँ वह उनको पकड़े वहीं टिकट काट दे। यह अधिकार टिकट चेकर और टिकट क्लेक्टर को होना चाहिए। कोई जरूरी काम से जाता है, टिकट नहीं ले सका तो वह उसको टिकट दे सकें यह अधिकार उसको होना चाहिए। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इस तरह से डंडे मार कर आमदनी बढ़ाना अनुचित है। गरीबों की गरीबी दूर न कर के उन के ऊपर और दस रुपये फाइन करना यह किसी तरह मुनासिब नहीं है। आप चाहते हैं कि उन की आदत बदले। लेकिन आप को पहले ऊपर के लोगों की आदत बदलनी चाहिए। टिकटलेस ट्रेवेलिंग हम भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यह जो तरीका उस के लिए अख्यार किया गया है गलत तरीका है। यह रेलवे बोर्ड हमेशा ऐन्टी-पीपुल काम करता है। हमारे मन्त्रियों को गलत राय देता है। हमारे एलेक्टेड मंत्री जो आते हैं जिन के अन्दर देशभक्ति है उनके ऊपर भी रेलवे बोर्ड अपना असर डाल देता है और खण्डेलवाल को ऐसा वहाँ बैठा रखा है कि वह इन को सब को चक्कर में डाल देते हैं। डा० राम सुभग सिंह भी इतने शक्तिशाली आदमी हो कर, इतनी ताकत रखते हुए भी इस रेलवे बोर्ड के चक्कर में आ कर गरीब जनता पर हमला करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस को वापस कर के इस की जगह दूसरा बिल बह ले आएँ और जो सुझाव हम ने दिए हैं उन के ऊपर विचार करें।

17.12 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Sir, I welcome this Bill. There is no reference in the Statement of Objects and Reasons to this Ordinance because the Ordinance had to be brought subsequently as this Bill could not be passed in parliament in time. But I feel the enhancement of fine is very very high. It is thousand per cent high. I shudder to think about the difficult that passengers who travel on small sections in the rural areas, who go to weekly bazars and travel distances of one or two stations will face in buying tickets of 10 paise, twenty paise or even thirty paise. These weekly bazars are such that people go in the morning and back in the evening, after selling their agricultural produce. On reaching the station if they find a train standing they are in a hurry to get in and they have no time to buy the tickets. On such occasions if there is a ticket examiner he catches such travellers. But the difficulty is that they have no money. If they have some money, all their earnings from the weekly bazar will be taken away. I would therefore request the hon. Minister to show them some consideration. People who have a lot of money do not care to pay the fine of Rs. 10, but a farmer who purchases a ticket worth 30 paise and travels a short distance to attend the weekly bazar will find it very difficult to pay. If such travellers are one or two the ticket examiner can drag them to the court.

If he is unable to pay Rs. 10 he will be taken by force. But if the ticketless travellers are in big numbers, say, ten or twenty and the ticket checker is only one, he would be helpless and he would allow them to go. Or, he may perhaps ask them to pay him one rupee and allow them to go. So, in such cases the fine would not be realised.

Previously, if a passenger was late to catch the train and if he was in a hurry and he had no time to buy ticket he could go and inform the guard of the position in which case he will issue a certificate. Now that practice has been stopped. That causes inconvenience to passengers who really want to purchase tickets but have no time to do it.

Then I will give you another instance from the Kurudwadi-Lathur-Miraj section. The booking window at the station opens only after the train had left the previous station. At the station there is only one person who has to issue tickets, check tickets and attend to all other functions and he is not able to attend to all of them well. I will narrate an incident which I myself witnessed. There were about two hundred passengers who were returning from the bazar. The queue was so big and all the passengers could not buy tickets before the train started. So, some of them got into the train without purchasing tickets.

I was travelling by the first class compartment of the same train. When I saw this I requested the guard to call the station master. Then I told them to keep the train waiting for a few minutes so that all the passengers could purchase tickets by standing in a queue. When they stood in the queue and started purchasing tickets, even those passengers who were inside the train but who had no tickets went to the booking window to purchase tickets. This shows that these people did not purchase tickets earlier because they did not get the facility for purchasing tickets. Since these are the genuine difficulties of the travelling public I would say that the penalty for ticketless travel should be less than Rs. 10.

It is mentioned in the Statement of Objects and Reasons that the loss of revenue because of ticketless travel is estimated at Rs. 10 to 15 crores. But what has been done by the railway administration to ensure that loss by thefts in the railways is eliminated. Most of these thefts are committed by railway employees. Because, I am not prepared to believe that travelling passengers take with them spanners, hammers etc. to remove bulbs and other electrical fitting, foam rubber of seats etc. from the railway compartments. I would give my whole hearted support to any measure to prevent theft of railway property because the watch and ward and RPF have failed to check these thefts. Passengers lose all comforts and amenities of railway travel because of these thefts of railway property. Therefore, the hon. Minister should come forward with such an Ordinance or Bill, which is a very stringent one, to check thefts and even search of suspected persons.

[Shri Sonavane]

With these words, I support the Bill and oppose the resolution moved by Shri Kothari.

श्री जार्ज फरनान्डीज (बम्बई-दक्षिण) : सभापति महोदय, इस विधेयक को पिछले साल दिसम्बर महीने में यहां पेश करने के बाद और पिछले सत्र के बाद जो छुट्टी का समय रहा है, उस में इस अध्यादेश को जारी करने की सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी, इस को हम समझ नहीं पा रहे हैं। डा० राम सुभग सिंह ने जो निवेदन इस सम्बन्ध में सभा पटल पर रखा है, उस को पढ़ने के बाद तो मुझे यह मामला कुछ अजीब सा लग रहा है और उसके आधार पर इस अध्यादेश को जारी करने की हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। असल में इस निवेदन में हमें कुछ ऐसी गलतियां दिखलाई दे रही हैं, जिनको यदि डा० राम सुभग सिंह खुद पढ़ें तो वह खुद भी महसूस करेंगे। पहली गलती तो यह है कि वह इस निवेदन में बता रहे हैं कि हमें कुछ बहुत ही मैसिव चैक करने के बाद यह पता चला कि दरअसल में जो नुकसान हो रहा है, वह 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपये का नहीं, बल्कि 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपये का है। आगे जा कर वह कहते हैं—

"It, accordingly, became necessary that measures to control this situation should be urgently taken. One of these measures was the Amendment Bill referred to above which, though introduced in the Lok Sabha in December 1968, could not come up for discussion even in the Budget Session of 1969."

मैं यह नहीं समझ सकता कि एक तरफ आपने पिछले साल के दिसम्बर में इस विधेयक को यहां पेश किया और बाद में हमें यह बता रहे हैं कि बहुत ही मैसिव चैक के बाद पता चला कि यह नुकसान बहुत ज्यादा है इसलिये हमें इस विधेयक को बहुत जल्दी आगे बढ़ाना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि रेलवे बोर्ड का दिमाग असल में किस ढंग से चला है— मैं आपके सामने रेलवे बोर्ड की पिछले साल

की यानी 1967-68 की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का उदाहरण देना चाहता हूँ टिकटलेस ट्रेवल के बारे में उस में जो बातें लिखी हैं, उन को बताना चाहता हूँ। उस में लिखा है कि रेलवे का टिकट-चैकिंग स्क्वाड ठीक ढंग से तेजी से काम कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है और जो लोग पकड़े गये हैं उन से 2 करोड़ 68 लाख रुपया वसूल किया है यानी 2 करोड़ 68 लाख रुपया आपने पिछले साल उन लोगों से हासिल किया, लेकिन रिपोर्ट में आप यह भी कहते हैं 10 करोड़ से 15 करोड़ की चोरी इस में होती है, लेकिन उस के दो-तीन महीने के भीतर ही आपकी मैसिव चैकिंग चलती है और उसमें आपको पता चलता है कि 20-25 करोड़ रुपये का घाटा है। सभापति महोदय, रेलवे बोर्ड का काम करने का जो ढंग है, उस की जो कूअत है, इस में बहुत सी खामियां नज़र आती हैं। जो रेलवे बोर्ड 2 करोड़ 68 लाख रुपया जमा करे और कहे कि 10 से 15 करोड़ रुपये का घाटा है, वही उस के दो तीन महीने बाद फिर यह कहे कि नहीं, इस में 20 से 25 करोड़ रुपये का घाटा हम लोगों को है—इस से आप समझ सकते हैं और जैसा तिवारी जी ने कहा भी है कि यदि दो तीन महीने और ज्यादा तेजी से काम करेंगे तो शायद 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपये के घाटे का हिसाब बतायेंगे।

सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करना मेरे लिये बिलकुल असम्भव है क्योंकि 50 पैसे का टिकट न लेकर चलने वाले व्यक्ति से 10 रुपया दण्ड का वसूल किया जाय—कोई भी सामान्य आदमी इस का समर्थन नहीं कर सकता। हम यह नहीं चाहते हैं कि लोग बिना टिकट प्रवास करें, इस को अवश्य रोकना चाहिये, लेकिन जिस तरह से आप टिकटलेस ट्रेवल के लिये परेशान हैं, उसी तरह सीटलेस-ट्रेवल के बारे में परेशान क्यों नहीं हैं? इस लिये परेशान नहीं हैं कि रेलवे बोर्ड के अफसरान तो सैलून में चलते हैं, जिसमें उन के बाल-बच्चे भी मजे में बैठे रहते हैं। इसी तरह से किसी मंत्री को भी थर्ड

क्लास में प्रवास करने की नौबत नहीं आती है। अमीरों के लिये कलकत्ता जाने के लिये 17 घन्टे में पहुँचाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की आपने बड़ी शान से व्यवस्था की है। इस लिये बिना सीट के जो लोग थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं उन की चिन्ता आपको नहीं है। रेलवे अमेण्डमेन्ट एक्ट में बहुत से प्रावीजन्ज हैं, हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय उस में यह संशोधन भी करें कि हर गाड़ी में जितनी सीटें होंगी, उतने ही टिकट बेचे जायेंगे। अगर आप ऐसा संशोधन ले आयेंगे तो टिकटलैस ट्रेवल आपने आप खत्म हो जायेगा। क्या राजधानी एक्सप्रेस में कोई बिना टिकट आपको मिला है। क्या फर्स्ट क्लास और एयर-कन्डीशन में कोई बिना टिकटवाला आपको मिला है। यह गलतफहमी हिन्दुस्तान के लोगों के मन में न रहे, यहां इस विषेयक का समर्थन करने वाले लोगों के मन में भी यह गलत-फहमी न रहे कि थर्ड क्लास में ट्रेवल करनेवाला कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता है। मैं आपकी रिपोर्ट से ही बतलाना चाहता हूँ—पिछले साल फर्स्ट क्लास के पैसेन्जर ने कुल मिला कर एक किलोमीटर पर 5.68 पैसा रेलवे को दिया, सैकेण्ड क्लास के पैसेन्जर ने 2.80 पैसा पर-किलोमीटर और थर्ड क्लास के पैसेन्जर ने 2.13 पैसा पर-किलोमीटर दिया। अब आप देखिये—फर्स्ट क्लास का पैसेन्जर आधा पैसा देता है—जब कि आप दोनों की सुविधाओं को देखिये—क्या इस के बारे में आपने कभी सोचा है।

इस सदन के बाहर जब हम जैसे लोग चिल्लाते हैं—सैलून को खत्म करो, एयरकन्डीशन और फर्स्ट क्लास को खत्म करो—एक दर्जा ही गाड़ियों में चलाओ, समाजवाद का झूठा नारा न लगाओ, कुछ समाजवाद कर के दिखलाओ तो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप कुछ ऐसे कदम उठाइये जिस से पता लगे कि सब में बराबरी का रिश्ता है। जब एक मंत्री और उसका चपरसी एक साथ रेलवे के डिब्बों में बैठ कर जायेगा, तब मालूम होगा कि यह समाजवाद है लेकिन ऐसा आप कर नहीं पायेंगे।

मैं मंत्री महोदय को एक और उदाहरण देना चाहता हूँ—डा० राम सुभाग सिंह हमारे दोस्त हैं, आज हम को बहुत परेशान दिखलाई दे रहे हैं, मैं उनकी परेशानी को महसूस करता हूँ—हमारे बम्बई में इस कानून का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस का उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे यहां जो लाइसेंस पोर्टर्ज हैं, मान लीजिये—बी० टी० स्टेशन पर वह किसी पैसेन्जर को ले कर आता है, जल्दी में वह किसी पैसेन्जर को बैठाता है, वहां भीड़ और सामान में इतना फंस गया कि निकल नहीं पाया और गाड़ी चल दी, जब दादर पहुँची, वहां टी० टी० ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम बिना टिकट आये हो, 10 रुपया निकासो—यह हकीकत वहां हुई है, जोशी जी यहां मौजूद हैं, वह भी इस बात को जानते हैं। आज यह नतीजा आपके इस अध्यादेश का हुआ है। इस लिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपने इस किस्म का नियम बनाया है तो इस में जो कठिनाइयां हैं उन की जड़ को पकड़ो। बिना टिकटवाले प्रवास को रोकना है तो लोगों के बैठने की व्यवस्था करो। लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिये कदम उठाओ।

यहां पर ऐसा सुझाव दिया गया है कि डा० राम सुभाग सिंह इनकागनिटो जा कर देखें। डा० राम सुभाग सिंह के लिए तो इनकागनिटो जाना सम्भव नहीं है, दुनिया उन को पहचान लेगी। लेकिन मैं तो आपको बिना इनकागनिटो दिखलाने के लिये तैयार हूँ। आप बम्बई के बी० टी० या बम्बई-सैन्ट्रल पर चल कर देखिये, लोगों को टिकट का बुकिंग कराने के लिये दो-दो रात वहां सोना पड़ता है। नई दिल्ली स्टेशन पर चलिये और थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ कर देखिये—इनकागनिटो जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय तत्काल इन परेशानियों के बारे में सोचें।

मैं एक और किस्सा भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिससे आप अवगत भी हैं।

[श्री जार्ज फरनांडीज]

11 ता० के अखबार में इलाहाबाद का किस्सा आया है। यह पहली बार नहीं हुआ है, उसी तरह का किस्सा पिछले साल भी हुआ था।

हरियाणा से 15 हजार टन गेहूं बारिश के मौसम में खुले वैन में भेजने का काम हुआ जिससे एक तरफ तो अनाज सड़ गया, दूसरी तरफ रेलवे को नुकसान हुआ और तीसरी तरफ लोगों को जो रोटी मिलनी चाहिए थी, वह रोटी नहीं मिल पाई। एक गलती तो यह हुई कि उसको खुले वैन में भेजा गया और दूसरी गलती यह हुई कि रेलवे के जो डाकूमेन्ट्स थे, हरियाणा और पंजाब जहां से गेहूं गया था, वहां से व्यापारियों को जो रेलवे की रसीद मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिल पाई जिससे कि वे पहले गेहूं नहीं निकाल सकते थे। तो ये आपके नुकसान के तरीके हैं। जो पिल्फरेज और और चोरियां होती हैं उनको तो छोड़ दीजिए लेकिन अलग अलग ढंग से लापरवाही के कारण जो करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है उसको रोकने के बारे में मैं चाहूंगा कि ठोस कदम उठाये जायें।

अन्त में, कई मित्रों ने यहां पर रेलवे कर्मचारियों पर जो आरोप लगाये हैं उनकी इमानदारी से बारे में और उनके काम करने के ढंग के बारे में, उसके संबंध में मैं दो एक बातें याद कराना चाहता हूँ। चन्द दिनों पहले श्री शान्ति प्रसाद जैन के ऊपर सी०बी०आई० ने मुकदमा दायर किया था कि टाइम्स आफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने हर महीने पचास हजार रुपया बिना रसीद दिखाये हुए चोरी से निकालने का काम किया। ये हैं आपके समाज के नेता जिनकी कि समाज में प्रतिष्ठा है, जिनके साथ आप लोग उठते बैठते हैं। ये लोग समाज का नेतृत्व करते हैं और इनके जरिये जनता को उपदेश देने का काम किया जाता है। अखबारों के जरिए उपदेश दिये जाते हैं। जो लोग इस प्रकार की चोरी और गन्दगी में फंसे हुए हों वे जनता के सामने कोई आदर्श उपस्थित नहीं कर सकते हैं।

इसी प्रकार से अफसरशाही का मामला है। मोरारजी भाई जब अर्थ मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि साढ़े छः सौ करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की चोरी इस देश में होती है। ये चोरी करने वाले रेल कर्मचारी नहीं हैं, बुकिंग क्लर्क, गार्ड या ड्राइवर नहीं हैं बल्कि पूंजीपति हैं, समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं समाज को नयी दिशा देने वाले लोग हैं। अब अगर कोई रेल कर्मचारी छोटी मोटी बेइमानी करता है तो उसको दोष नहीं देना चाहिए। मैं रेल कर्मचारियों का बचाव नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो लोग सबक सिखाना चाहते हैं पहले उनको खुद सबक लेना चाहिये और बाद में दूसरों को सबक देने का काम करना चाहिए।

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : I have heard all the speeches with a great deal of attention. There is one thing which I would like to bring to the notice of the Minister. The Bill before us deals with two things : one is that in sub-section (1A), for the words 'fifty naya paise', the words 'ten rupees' shall be substituted; and the other is in sub-section (1), for the words 'which may extend to one hundred rupee's', the words 'which shall not be less than ten rupees but which may extend to five hundred rupees' shall be substituted. I would like to ask who is to decide on this fine, who will say that the fine would be Rs. 500 and for what ? Does anybody travelling nowadays have Rs. 500 straightway in his pocket ? And if he cannot pay Rs. 500, I do not know what will be done. So, it comes to this that Rs. 500 will be asked from the persons who could give it and Rs. 10 will be asked from persons, as has been pointed out by so many members, who buy tickets of 25 paise or 10 paise.

I quite realise that ticketless travelling should be stopped, but by imposing this fine, will you be able to stop ticketless travelling except in so far as it acts as a deterrent punishment. It is the same thing as saying that there will be five years' imprisonment. Some persons may be deterred, but when you are running for a train, this does not come to your mind.

May I bring to the notice of the hon. Minister that I come from a district where ticketless travelling is on the verge of taking off a railway line—from Krishnagar to Navdeep Ghat, that line is sought to be taken off because there is so much ticketless travel on that line and the Railways suffer a loss. I quite agree that there should be better checks. What about vendors ?

Sir, how much do we lose on the vendors ? If you have surprise checks at stations, they could really be Surprise checks. They should not be intimidated about it, that there is going to be a surprise check. I have seen it for myself that people are told beforehand that there is going to be a surprise check. Then a person doles out a certain number of tickets for that day. So if real surprise checks are carried out, it would be found that they go without tickets for many days. So there must be better checks to avoid loss to the exchequer on this score.

Secondly, I come from a district where there is a very big pilgrim centre, Nabadwip Dham. On holidays, Fridays, "Ras Poornima" and on *Poornachandra* days and other auspicious occasions, you will find people travelling thickly, even on top of the trains. The compartments are full; even the tops of trains are full. Could not the railway make a certain amount of money on such occasions because people will pay for going for such pilgrimages. On such occasions, more trains should be provided; but instead of doing that, you let them travel on tops of trains. So there should be more trains run to cope with the traffic on such occasions.

The hon. Minister said that 55 trains have been added on. I do not know if he means that 55 coaches have been added.

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI
PARIMAL GHOSH) : 55 new trains.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI :
I would ask how many third class coaches are there in those trains. It is the third class coaches that will give returns.

We sit on the railway consultative committees. When we say that ticketless travel occurs because people are not able to

get tickets and we make suggestions, the answer invariably given is that the traffic does not justify opening another window to sell tickets. The traffic may not justify it for the whole day, but at peak hours at least there must be two or three windows opened so that people can buy their tickets quickly. There should also be checks to see that they are getting the tickets.

Then I do not know why you have almost eliminated women ticket checkers. Women who do not know much, very often come hurrying to catch the train. I have come across a woman who got into a train having been asked to pay double fare because she did not have a ticket. She was in tears. She did not know what to do. Why should we not have better checks so that these things do not happen and the Railways get money ?

By imposing a fine of Rs. 10, Government will not realise so much as by spending something more on opening more windows and by having more women ticket checkers also. If they just watch the pilgrimage dates and run more trains with more third class coaches on those dates, the return would be considerable.

I would support the Bill as far as it goes because we do not want ticketless travel. But why do we not make use of the mike and every other audio-visual medium to tell passengers to buy their tickets from such and such booth ? Why should this not be done in every language so that people know and can buy their tickets with facility and convenience ?

Coming to thefts on railways, the incidence of this has increased. If it is investigated, it would be found that the loss on this account would be much more than through ticketless travel. Why should thefts be there ? What are the watch and ward people doing ? They do not seem to be able to prevent this. I have nothing to say against the railway employees. I think they are a very good lot. At the same time the watch and ward must have protection so that they can do their duty without being killed. If they know that they are going to be killed, how are they going to watch ? So the vigilance machinery has to be brought into action.

[Shrimati Ila Palchoudhuri]

In the ladies' compartments, there is so much complaint that alarm chains are pulled for no valid cause. At the same time, when the alarm chain needs to be pulled, then it is in such a place that a woman cannot certainly get to it. So, there must be some device near the bench so that she can get to it should there be real occasion to pull the chain.

I put all these suggestions for the consideration of the hon. Minister, and though I support the Bill I would say he should not increase the fines to Rs. 10 and Rs. 500 as it will be a hardship to the people. Instead, you should improve your vigilance, put more trains on pilgrimage days because there you will mint money. At the same time, you give the people more facilities. It is up to Railway Ministry to see that the third class passenger gets more facilities, because it is he who pays you dividends, because it is in the third class that real India is travelling. I hope the hon. Minister will look to the facilities for these teeming millions.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Bihar) : Although the Bill seems to be a very simple one, but if it is accepted by the House, it will very vitally affect the average people of India, not only the ticketless travellers. The Bill should be read in between the lines. Clause 2 says :

"In the Indian Railways Act, 1890 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 112,—

(a) in sub-section (1), for the words 'which may extend to one hundred rupees', the words 'which shall not be less than ten rupees but which may extend to five hundred rupees' shall be substituted;

(b) in sub-section (1A), for the words 'fifty naye paise,' the words 'ten rupees' shall be substituted."

Section 112 of the original Act says :

"...he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one hundred rupees and shall also be liable to pay the excess charge

hereinafter in section mentioned in addition to the ordinary single fare..."

So, the hon. Minister wants to increase the penalties from Rs. 100 to Rs. 500 and from 50 paise to Rs. 10.

What is the idea of coming forward with this Bill. It has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons that it is to prevent the evil of ticketless travel, which must be stopped. We appreciate that it must be stopped, but what is the procedure to stop this menace to the society? Is it by proposing such heavy penalties and fines? Ticketless travellers have to pay 250 percent higher than the normal fare according to the present Act. What will the railway gain by imposing more penalties? The tendency on the part of ticketless travellers to travel without tickets will increase more and more, and they will try to hide themselves so that they may not be caught by the checking staff. It is better to let these people come to realise that they should not travel without tickets.

In any case, what is the basic sense of jurisprudence behind these increased fine? Punishment should be reformatory, not retributory, in nature. This basic concept is missing from the amending Bill. It seems to be the opinion of Railway Minister that more and more penalty would result in less and less ticket travelling. This will not be so.

In view of the opinion expressed by so many Members, I appeal to the hon. Minister to withdraw this Bill at present and to study the whole matter in the new perspective and only after that he come forward with a proper Bill, if it is so necessary.

I have other objections too. The Bill is not only causing hardship and torture; it is full of irrationalities. For instance, a train starts as a passenger train and from station A and goes to B as a passenger train and from B it changes its character to an express or mail train. In the N.E.F.R. a train starts at Tinsukia and goes upto New Bongaigaon as an ordinary train and becomes an express or mail train onwards. A passenger travelling with an ordinary ticket on this train will be holding a valid ticket till New Bongaigaon but will be liable to be penalised and will be treated as if he is travelling without a proper ticket or with insufficient ticket. In such circumstances he

will have to pay the penalty. There is no provision to safeguard against such contingencies. That is why I say that this Bill is full of irrationalities.

There are also instances where the railway ticket checking staff were killed by ticketless passengers. It happened in Siliguri in 1967, when the penalty was only fifty paise. I do not know how many persons, belonging to the ticket checking staff, will be killed in future because the penalty is going to be increased from fifty paise to ten rupees. These aspects should be kept in mind. This is not the process by which ticketless travel can be put down. It should be done in such a way that passengers will have no mind to travel without tickets. If a passenger buys a ticket, the Railways must ensure him at least a seat in the train. Is it not a commercial organization? If that is so, is it not proper on the part of a passenger to expect sitting accommodation in a train if he is asked to pay the price? If I have to pay a certain price, naturally I should get certain goods or services. There is no such Provision in this Bill to ensure this return. As has been pointed out by Shri Fernandes, the Railways are talking not about the seatless traveller but about ticketless traveller.

In view of all these things, this Bill should be withdrawn now. Let the hon. Minister to collect all the facts and study them. Let him find out if long-distance passengers are the offenders or short-distance passengers are the offenders. The short-distance or local passengers have to travel by train to do their business and perform their duties and it is they who generally come in the last moment to catch a train.

They have to attend to a number of duties; they have to attend to their office. And there is so much of over crowding in trains. In such cases it may so happen that some of the passengers may not find time to purchase the ticket, in spite of their best intention. So, it should be ascertained first as to the sections in which, and the mileage up to which such ticketless travelling persists, and to what extent such passengers continue to travel without tickets. At least the percentage of such cases should be ascertained. It is only after that, that the hon. Railway Minister may come forward with such a Bill.

Now, I come to the last point. The

section to which I referred is full of irregularities from another point of view. Even when a ticket costs just 50 paise, a passenger has to pay a penalty of Rs. 10 plus 50 paise as excess fare and the normal fare of 50 paise. The total comes to Rs. 11: Rs. 10 as penalty, 50 paise as the normal fare and another 50 paise as the excess fare, which come to Rs. 11. Instead of this, is it not possible at least to have a graded system of penalty? Instead of imposing Rs. 10 as fine for not having a ticket for 50 paise, you can have a system whereby, if the value of a ticket is Rs. 1 to Rs. 10 the penalty may be 50 paise, and if the value of the ticket is from Rs. 11 to Rs. 20, the penalty may be Re. 1 and so on. This may be done in a graded way.

Otherwise, if you club all together; it will be very hard on the poor passengers, and the poor passengers very often travel just two or three or five miles and the value of their tickets will not be more than 50 or 60 paise. It will be very hard for them if they are penalised for Rs. 10. So, I request the hon. Railway Minister at least to withdraw the Bill for the present. Let him collect the statistics first and then come before the House with this Bill, if it is so necessary, and it may be considered then.

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने है, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूँ। इसमें 8 आ० के बजाय जो 10 रु० की पेनैलिटी रक्खी गई है उस के बारे में मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। आज जो भी छोटे स्टेशन हैं उन पर प्लेटफार्मे टिकट नहीं मिलते। जो लोग अपने रिश्तेदारों को भेजने के लिये आते हैं उन को बड़ी तकलीफ होती है। एक लड़का अपनी बहन को भेजने स्टेशन गया। वहाँ टिकट क्लेबटर तथा पुलिस वाले उस को पकड़ कर ले गये। वह 120 रु० की घड़ी बाँधे हुए था। उन लोगों ने वह घड़ी छीन ली और कोई रसीद नहीं दी। मैंने डी एस को लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं। छोटे स्टेशनों पर प्लेटफार्मे टिकट मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण रेलवे कर्मचारी व्यर्थ में लोगों को परेशान करते हैं।

[श्री नाथूराम अहिरवार]

दूसरी तरफ यह है कि यहाँ पर तो आप ने 10 रु० जुर्माना रख दिया। जहाँ का 25 या 30 पैसे किराया है, वहाँ यह होता है कि कोई जल्दी में आता है लेकिन टिकट नहीं ले पाता। कभी यह होता है कि स्टेशन मास्टर देर में आता है और दस मिनट में ही गाड़ी आने वाली होती है। जो यात्री होते हैं वह टिकट नहीं ले पाते हैं। चूँकि उनको ज़रूरी काम होता है, किसी को मुकदमे की पेशी में जाना होता है, किसी को दूसरे काम से इसलिये उन को मजबूरी में गाड़ी में बिना टिकट बैठना होता है। उस पर आप 10 रु० जुर्माना कर देते हैं। अगर वह नहीं दे पायेगा तो उस को पकड़ लिया जायेगा और सजा हो जायेगी। आप खुद सोचिये कि यह कहाँ तक उचित है। मैं विनती करूँगा कि आप इस में कुछ सुधार कर के 10 रु० के बजाय कम जुर्माना रखिये। इस में 500 रु० या 100 जुर्माना या तीन महीने की जो सजा रखी है, उसको भी कम कीजिये। मैं तो यह कहूँगा कि आप अपने स्टाफ को और भी चौकन्ना कर दें जिससे लोगों को मौका ही न मिले गलत काम करने का और बिना टिकट चलने का।

मैं आप को बतलाऊँ मानिकपुर से भाँसी लाइन पर 24 घंटे में केवल एक गाड़ी आती तथा जाती है और बाँदा से कानपुर गाड़ी चलती है। कानपुर में 100 आदमियों में से 50 आदमी टिकट नहीं लेते। बाँदा का हर एम ए पास आदमी पाँच हाथ की लाठी बाँधता है। किसी टी० टी० की हिम्मत नहीं पड़ती कि उससे टिकट पूछे। मैं खुद एक बार फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ जा रहा था। बीच में बाँदा स्टेशन पड़ा। मेरे डिब्बे में दस-बारह आदमी और भी बैठे हुए थे। टी० टी० मेरे पास आया और पूछा टिकट। मैंने कहा कि मेरे पास तो पास है, लेकिन उन लोगों से भी तो पूछो। वह कहने लगा कि उनके पास चाकू है। मैं चाहता हूँ कि रेलवे के स्टाफ की रक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिये। आज अगर आप ऐसा

करने के बजाय 500 क्या 1,000 रु० जुर्माना भी कर दें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।

इस बिल में कुछ नरमी आनी चाहिये जिस से आदमी पैसा दे सके जब तक 50 पैसे पेनैलिटी थी कितने आदमी चलते थे बिना टिकट लिये हुए? बहुत कम आदमी ऐसे होते थे जो बिना टिकट चलते हैं। मैं उन इलाके के लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ जो कि चेन खींचते और गाड़ी को रोक लेते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं। बाकी लोगों में से बहुत कम बिना टिकट चलते हैं। हाँ गाड़ी स्टेशन पर आये और टिकट न मिलने के कारण भले ही वह बिना टिकट चले जायें। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग लाठियों से ही गाड़ियों को रोक लेते हैं। ऐसे लोगों से आप 2,000 रु० जुर्माना भी कर दें तो भी वसूल नहीं हो सकता है क्योंकि वसूल करने की ताकत आप में नहीं है।

भाँसी से मानिकपुर जाने वाली गाड़ी है, उसमें टिकटलेस ट्रेवलिंग बहुत होती है। उसमें मान लीजिए 500 आदमियों की जगह होती है और आप चाहें कि उसमें पाँच सौ सवारियाँ ही चलें जबकि चौबीस घंटे में आपकी सिर्फ एक गाड़ी ही चलती है तो फिर बाकी पैसेंजर्स का क्या हाल होगा? उनका उद्देश्य पैसा न देने का नहीं है लेकिन वे जायेंगे कैसे? अगर वे बैलगाड़ी से जायेंगे तो पहुँचने में कम से कम तीन चार दिन लग जायेंगे। आपको करना यह चाहिए कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा दें और उनमें डिब्बे भी बढ़ा दें जिससे कि आमदनी बढ़ सके।

अभी रेलवे में घाटा क्यों पड़ रहा है? आप जो माल की बुकिंग करते हैं उसका तो जो रेट है वह है ही लेकिन प्लेटफार्म से गाड़ी पर चढ़ाने के लिए कुली बहुत पैसे मांगते हैं। इसके लिए आप कोई व्यवस्था नहीं करते हैं जिससे कि आपकी बुकिंग ज्यादा हो सके और आपकी आमदनी बढ़ सके। ऐसा न करने से आपको नुकसान होता है। इसके अलावा रेलवे में चोरियाँ बहुत होती हैं। मैं एक बार बस में

ट्रैबल कर रहा था, उसमें परदे लगे हुए थे। मैंने कहा कि ये रेलवे के पर्दे कहां से आए तो उन्होंने कहा कि यह मत पूछिए। यह उनको रेलवे कर्मचारी खुद लाकर देते हैं। यह पर्दे प्रथम श्रेणी के गद्दे के ऊपर का हिस्सा था जिस पर 'I. R.' लिखा रहता है। आपकी बहुत सी लाइन्स पर लोग चैन पुलिंग करते हैं और गाड़ी रोक लेते हैं। आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रखकर इसका इन्तजाम कीजिए लेकिन जो लोग कानून को मानते हैं, पैसे देकर टिकट लेना चाहते हैं उनके साथ अगर सख्ती का बर्ताव किया जायेगा तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। मन्त्री महोदय इस पर फिर विचार करें और जो जुर्माना रखा है उसे कुछ कम करें। मेरी राय में एक रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

17.58 hours.

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : Sir, today morning Shri Morarji Desai laid on the Table of the House a copy of the correspondence between the Prime Minister and himself. It is noticed that copy of a letter dated 20th July, which is also a part of the correspondence, which was sent to him by the Prime Minister, was not included in those letters. May I, Sir, on behalf of the Prime Minister have your permission to lay on the Table of the House a copy of that letter also? *[Placed in Library. See No. LT—1230/69]*

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : श्री मोरारजी देसाई जो पत्र रखना चाहते थे वह उन्होंने क्यों नहीं रखा? क्या प्रधान मंत्री की ओर से कोई नया पत्र आया है?

MR. CHAIRMAN : On behalf of the Prime Minister the Minister of Parliamentary Affairs is placing a copy of a letter, which is part of the correspondence between the Prime Minister and Shri Morarji Desai.

श्री प्रकाशबोर शास्त्री (हापुड़) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर को यह बात बाद में सूझी कि यह चिट्ठी शामिल कर देनी चाहिए या पहले से बात उनके ध्यान में थी?

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : जो पत्र रखे गए हैं उनमें यह पत्र नहीं रखा गया है तो यह जान बूझ कर नहीं रखा था या गलती से रह गया?

MR. CHAIRMAN : Yes, it was not.

18.00 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE 1969 AND INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री हुकुमचन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदय, जिस बिल पर चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि सदन में सभी ने इसका विरोध किया है कि रेलवे की इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से आर्डिनंस के द्वारा 10 रुपए का जुर्माना रखा जाये। सरकार का जो दबा हुआ पैसा है उस पैसे को निकालने के लिए सरकार ने जिन टी० टी० वगैरह को रखा है, वे उस पैसे को निकाल कर लाते हैं या नहीं, क्या कभी सरकार ने गम्भीरता से इस पर विचार किया है? एक और तो आपने 8 आने के बजाये बस रु० की पेनाल्टी रख दी रेलवे के घाटे को पूरा करने के लिए और दूसरी ओर पश्चिमी रेलवे में स्लीपिंग कोचेज में टी० टी० लोगों की जगह पर केवल अटेडेंट काम कर रहे हैं। जब मैंने इस बारे में पूछा तो जी० एम० द्वारा मुझे बताया गया कि चूँकि रेलवे को घाटा है इसलिए टी० टी० को हटा कर अटेडेंट्स के काम लेना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN : Would he be concluding his speech in a minute or two?

श्री हुकुमचन्द कछवाय : मुझे पांच मिनट दिये गये हैं मैं कल जारी रख सकता हूँ।

MR. CHAIRMAN : In that case, he may continue his speech tomorrow.

18.01 hours.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 22, 1969, Asadha 31, 1891 (Saka).